भंडार नियंत्रक का कार्यालय
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
बिलासपुर (छ.ग.) 495 004

निविदा दस्तावेज

कृपया नोट करें

1. सभी कॉलम भरें जायें तथा यदि कोई कॉलम खाली हो तो वहां – कुछ नहीं मार्क किया जाय।
2. निविदा फार्म भरने से पूर्व निविदाकारों को चाहिए कि निविदाकारों के लिए अनुदेशों, सामान्य तथा विशेष निविदा शर्तें आईआरएस निविदा शर्तें तथा निविदा की अतिरिक्त विशेष शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाय।
3. टेंडर फार्म पर आपके द्वारा किया गया हस्ताक्षर इस बात का द्योतक है कि आपने संदर्भित तथा संलग्न निविदा शर्तों को स्वीकार कर लिया है तथा अच्छी तरह से पढ़ लिया है।
4. निविदाकार secr.gov.in वेबसाइट से निविदा फार्म डाउनलोड कर सकते हैं तथा निविदा फार्म की कीमत, नकदी रसीद/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, द.पू.म.रेलवे, बिलासपुर के पक्ष में देय डी.डी.के रूप में जमा करना चाहिए।

निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित का समावेश :–

1. निविदा अनुसूची तथा ऑफर फार्म सहित परिशिष्ट I, II एवं III
2. निविदाकारों के लिए अनुदेश
3. निविदा की सामान्य शर्तें
4. निविदा की विशेष शर्तें (जहां लागू हो)
5. निविदा की आईआरएस शर्तें तथा निविदा की अतिरिक्त विशेष शर्तें
6. निम्न का मानक प्रोफॉर्मा
   ए. बयाना राशि, बैंक गारंटी
   बी. प्रतिभूति निक्षेप बैंक गारंटी
   सी. वारंटी बैंक गारंटी
7. ईएफटी मैंडेट फार्म

निविदाकारों के लिए अनुदेश

भंडार नियंत्रक, द.पू.मध्य रेलवे द्वारा प्रकाशित भंडार निविदाएं द.पू.मध्य रेलवे की भंडार निविदाओं के तहत secr.gov.in के इंटरनेट साइट पर प्रकाशित की जाती हैं। इस साइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अनुज्ञा है। इच्छुक निविदाकार इस साइट पर जाकर निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करते समय निविदा दस्तावेज की निविदा फार्म की कीमत, नकदी रसीद/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, द.पू.म.रेलवे, बिलासपुर के पक्ष में देय डी.डी. के रूप में जमा करना चाहिए। यदि निविदाकार फ्री निविदा अनुसूची प्राप्त करने के पात्र हों तो उन्हें पात्रता के संबंध में निविदा के साथ एनएसआईसी प्रमाण पत्र पात्रता के प्रुफ स्वरूप जमा करना चाहिए।

ईएफटी के माध्यम से भुगतान : द.पू.मध्य रेलवे ने निविदाकारों के खाते में शीघ्र मनी ट्रांसफर करने के उद्देश्य से ईएफटी के द्वारा भुगतान करना प्रारंभ किया है।

i ईएफटी के माध्यम से भुगतान प्राप्ति के लिए मैंडेट फार्म (दस्तावेज के अंत में दिये गये फार्म के अनुसार) में निविदाकार को अपनी सहमति देनी चाहिए।

ii इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार निविदाकार को बैंक एकाउंट का विवरण उपलब्ध कराना चाहिए। इन विवरणों में बैंक/शाखा का नाम, पता, एकाउंट का प्रकार, एकाउंट नंबर तथा बैंक द्वारा जारी किए गए चेक के एमआईसीआर पर अंकित बैक एवं ब्रांच का कोड नंबर शामिल है।

iii उपर्युक्त पैरा ii में वर्णित उपर्युक्त सभी जानकारियों की सही होने के संबंध में बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र निविदाकार को संलग्न करना चाहिए।

iv ईएफटी के मार्फत भुगतान न किये जाने या जहां ईएफटी सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे मामलों में भुगतान चेक द्वारा किया जायगा।

1. ऑफर जमा करना तथा निविदा भरने के संबंध में –

1 ए. संलग्न ऑफर फार्म एवं निविदा अनुसूची को विधिवत रूप से निविदाकार द्वारा भरा जाना तथा संबंधित जगहों पर विधिवत हस्ताक्षर करना चाहिए एवं भंडार नियंत्रकद्व द.पू.मध्य रेलवे, महाप्रबंधक एनेक्स बिल्डिंग–495 004 को संबोधित सील कव्हर लिफाफे में निविदा फार्म एवं अन्य कागजात जमा करना चाहिए तथा लिफाफे के शीर्ष पर निविदा संख्या .... निविदा खुलने की तिथि .... तथा समय....................... स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।

1बी. निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है तथा

प्रत्येक करेक्शन/ओव्हर राइटिंग स्थल पर निविदाकार द्वारा उचित रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।

1 जी कोट किये गये दर को शब्दों तथा अंकों दोनों रूप में लिखना चाहिए। टेंडर स्पेशिफिकेशन/शैड्यूल के अनुसार दर इकाई मेट्रिक प्रणाली में होनी चाहिए। शब्दों तथा अंकों के बीच यदि कोई अंतर हो तो शब्दों में लिखे गये दर को ही माना जाएगा। तथापि, दोनों दरों में से न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिए रेलवे को स्वतंत्र अधिकार होगा।

1 एच निविदाकार से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा की आईआरएस शर्तों, विशेष शर्तों, निविदाकारों के लिए अनुदेशों तथा सामान्य एवं विशेष शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें तथा इस बात को विशेष रूप से नोट कर लें कि विधिवत रूप से हस्ताक्षर कर जमा किये गये निविदा दस्तावेजों के संबंध में यह समझा जाएगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है तथा वे उसका उचित अनुपालन भी करेंगे।

2. बयाना राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप :–

2.1 बयाना राशि : खुली (ओपेन) निविदा के लिए

2.1.1 इतर रेलों, सरकारी विभागों, एनएसआईसी द्वारा पंजीकृत एसएसआई यूनिटों, रेलवे के अनुमोदित सूचीबद्ध मेनुफेक्चर तथा उनके प्राधिकृत एजेंट एवं फर्म, आरडीएसओ/ डीएलडब्ल्यू/ सीएलडब्ल्यू/ आईसीएफ / आरसीएफ /कोर इत्यादि से बयाना राशि नहीं लिया जाना चाहिए। द.पू.मध्य रेलवे के पंजीकृत निविदाकारों से भी बयाना राशि नहीं लिया जाना चाहिए।

2.1.2 इस संबंध में यह नोट किया जाय कि एनएसआईसी द्वारा पंजीकृत एसएसआई यूनिटों / फर्मो तथा रेलवे के पंजीकृत निविदाकारों से बयाना राशि न लेने संबंधी छूट देने पर विचार करते समय इस संबंध में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि रेलवे/एनएसआईसी से पंजीकृत निविदाकार किन आइटमों/ ट्रेड ग्रुप किस लिये पंजीकृत किये गये हैं तथा उनका रजिस्ट्रेशन का मूल्य सीमा कहां तक है।

2.1.3 विज्ञापित निविदा (जहां कहीं भी लागू हो) के संबंध में बयाना राशि प्राकल्लित निविदा मूल्य का 2% होगा, जिसकी अधिकतम सीमा

ए) 10 करोड़ मूल्य तक के टेंडर के लिए 5 लाख रूपये तथा
बी) 10 करोड़ से अधिक मूल्य के टेंडर के लिए 10 लाख रूपये की सीमा होगी।

2.1.4 फाइनल बोली की वैधता अवधि से परे 45 दिनों के लिए बयाना राशि की अवधि मान्य रहनी चाहिए।

2.1.5 जो निविदाकार बयाना राशि से छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजी सबूत अवश्य प्रस्तुत करना होगा। अन्य निविदाकारों के संबंध में निविदा आमंत्रित की जाने वाली सूचना में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार बयाना राशि जमा करना होगा।

2.1.6 जिन निविदाकारों को पूर्वगामी पैराग्राफ में वर्णित निर्देशों अनुसार बयाना राशि जमा करने से छूट की गई है या जिन्हें बयाना राशि जमा करना नहीं है, ऐसे निविदाकारों को छोड़कर अन्य सभी निविदाकारों को अपेक्षित बयाना राशि जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा उनके ऑफर पर विचार नहीं किया जायेगा।

2.1.7 बयाना राशि की जब्ती :
जब निविदाकार एक निश्चित अवधि पर ऑफर वैध रखने के लिए वादा करता है लेकिन वैधता अवधि के दौरान ऑफर वापस ले लेता है या उसमें संशोधन करता है तो ऐसी स्थिति में रेल प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह प्रतिभूति निक्षेप को जब्त कर ले।

2.1 प्रतिभूति निक्षेप : कृपया निविदा की निम्न आईआरएस शर्तों को नोट किया जाय –

2.2.1 पैरा 0501 : जब तक निविदाकार तथा खरीददार के बीच इससे अन्यथा सहमति न हो तब तक निविदाकार रेलवे द्वारा ठेकेदार को भेजे गए टेंडर की स्वीकृति के 14 दिनों के भीतर संबंधित रेलवे के पास (नकद या इसके बराबर गवर्नमेंट सिक्यूरिटी या अनुमोदित बैंकर्स गारंटी बांड) जो स्वीकृत निविदा में वर्णित 10 करोड़ तक की निविदा के मामले में कुल निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत तथा अधिकतम राशि 10 लाख रूपये एवं 10 करोड़ से अधिक निविदा के मामले में अधिकतम राशि 20 लाख रूपये के बराबर की राशि जमा करवानी होगी।

2.2.2 संरक्षा मदें :– निम्न को दी जाने वाली छूट के अलावा संरक्षा मदों के लिए विज्ञापित टेंडर एवं ग्लोबल टेंडर हेतु निविदा के सभी फर्मों से प्रतिभूति निक्षेप/परफार्मेंस गारंटी ली जायेंगी।

ए) एनएसआईसी के साथ पंजीकृत वेंडरर को आदेशित मदों के लिए उनके द्वारा पंजीकृत राशि के बराबर तक । इस आधार पर प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने से छूट प्राप्त करने के इच्छुक निविदाकारों को अपेक्षित दस्तावेजी सबूत जमा करना आवश्यक होगा ।

2.2.3 गैर संरक्षा मदें – निम्न को छूट अलावा गैर संरक्षा मदों के लिए विज्ञापित टेंडर एवं ग्लोबल टेंडर हेतु निविदा के सभी फर्मों से प्रतिभूति निक्षेप ली जायेंगी।

ए) एनएसआईसी के साथ पंजीकृत वेंडरर को आदेशित मदों के लिए उनके द्वारा पंजीकृत राशि के बराबर तक ।

बी) आदेशित मदों के लिए रेलवे के साथ पंजीकृत वेंडरर / ट्रेड ग्रुप को रजिस्ट्रेशन मूल्य सीमा तक या आरडीएसओ/पब्लिक अंडरटेकिंग/कोर/रेलवे इत्यादि के अनुमोदित सूची के वेंडरर को उन विशेष मदों के लिए जिनके लिए वे अनुमोदित सूची में शमिल किए गए हैं या अन्य रेलवे सरकारी विभाग को उनके विशेष अनुरोध पर तथा मेरिट को ध्यान में रखते हुए टेंडर कमिटी द्वारा किए गए विचार के अनुसार ।

सी) इस आधार पर प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने से छूट प्राप्त करने के इच्छुक निविदाकारों को अपेक्षित दस्तावेजी सबूत जमा करना आवश्यक होगा ।

2.2.4 गैर पंजीकृत/अनाधिकृत फर्म या ऐसी मदों के लिए जिसके लिए संबंधित फर्म पंजीकृत या अनाधिकृत हैं, को संविदा प्लेस करने की स्थिति में सामान्य रूप से प्रतिभूति निक्षेप लिया जायेगा।

2.2.5 सप्लायर के सभी ठेकागत बाध्यताओं के पूर्ण होने की तारीख से परे प्रतिभूति निक्षेप 60 दिन की न्यूनतम अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए।

2.2.6 पैरा 0502 : यदि कंट्रैक्टर को केता द्वारा सिक्युरिटी जमा करने के लिए बुलाया जाता है एवं कंट्रैक्टर निर्धारित अवधि में ऐसा करने में विफल रहता है तो केता के लिए यह वैध होगा कि–

ए) वह कंट्रैक्टर के संविदा के पेंडिंग बिल से या केता के पास पड़े उसके अन्य किसी कंट्रैक्ट या सरकार या केता के माध्यम से कंट्रैक्ट करने वाले किसी व्यक्ति या अन्य उपायों से जितनी प्रतिभूति निक्षेप की राशि बकाया है, उतनी राशि की वसूली कर ले।

बी) कंट्रैक्ट या उसके किसी भाग को रद्द कर दे तथा कंट्रैक्टर की लागत एवं जोखिम पर भंडार की खरीद कर ले या खरीद करने के लिए प्राधिकृत कर दे। ऐसी स्थिति में क्लॉज 0702 के प्रावधान लागू होंगे।

2.2.7 पैरा 0503 : नकदी जमा या गवर्नमेंट सिक्यूरिटी या अवमूल्यन के संबंध में ब्याज का कोई दावा केता पर नहीं किया जाएगा।

2.2.8 पैरा 0504 : केता को यह अधिकार होगा तथा यह न्यायोचित होगा कि वह कंट्रैक्ट के अंतर्गत या केता के पास किसी कंट्रैक्ट के संबंध में किसी कार्य निष्पादन को संतोष रूप में नहीं करने या किसी शर्तों/निबंधनों के उल्लंघन, कार्य निष्पादन में असावधानी, विफलता या चूक के लिए प्रतिभूति निक्षेप की संपूर्ण राशि या उसका कोई हिस्सा को जब्त कर ले। केता को यह भी अधिकार होगा कि वह कंट्रैक्ट के संबंध में या अन्य किसी भी कंट्रैक्ट के संबंध में यदि केता को कंट्रैक्टर के किसी कृत्य के कारण हानि, क्षति, नुकसान होती है तो वह उक्त हानि इत्यादि के लिए डिपॉजिट या राशि में से हानि, क्षति की राशि काट ले तथा कंट्रैक्टर को बुला सके तथा प्रतिभूति निक्षेप की मूल राशि को बरकरार रखने के लिए राशि जमा करने के लिए कह सके। केता को यह भी अधिकार होगा कि जमा की गई राशि में से किसी भी समय या आगे कंट्रैक्टर को संदर्भित कंट्रैक्ट या किसी अन्य कंट्रैक्ट से देय राशि में से किसी भी दावे की राशि को रिकव्हरी कर सके।

2.2.9 बयाना राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप की राशि निम्न रूप में जमा की जा सकेगी –

1. मार्केट वेल्यू से 5 प्रतिशत नीचे तक गवर्नमेंट सिक्यूरिटी के रूप में

2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की डिपाजिट रिसीप्ट, पे–आर्डर, डिमांड ड्राफ्ट तथा गारंटी बाण्ड

3. किसी भी शैड्यूल कमर्शियल बैंक द्वारा जारी डिपाजिट रिसीप्ट, पे–आर्डर, डिमांड ड्राफ्ट तथा गारंटी बाण्ड

4. पोस्ट आफिस सेविंग बैक का डिपाजिट रिसीप्ट

5. इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन का बाण्ड (यदि बाण्ड गैर संचयी इंटरेस्ट स्कीम के तहत जारी की गई है तो बाण्ड के साथ पोस्ट डेटेड इंट्रेस्ट वारेंट्स भी जमा करना चाहिए तथा इंट्रेस्ट ड्यू हो जाने पर इंट्रेस्ट वारेंट को वापस किया जा सकेगा) तथा केआरसीएल बाण्ड्स प्रत्येक रू. 1000 का ।

2.2.10 सप्लायर/कंट्रेक्टर द्वारा जमा किया जाने वाला बैंक गारंटी संलग्न स्टैण्डर्ड प्रोफर्मा के अनुसार होना चाहिए तथा उसे जारी करने वाले बैंक द्वारा पावती सहित रजिस्ट्री डाक से संबंधित अधिकारियों को सीधे भेजना चाहिए। प्रतिभूति निक्षेप तथा बयाना राशि पे–आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाना चाहिए जो केवल वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के पक्ष में होना चाहिए।

3. फैक्स कोटेशन तथा लेट टेंडर :

i. केवल प्रोपाइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट तथा सिंगल टेंडर के मार्फत खरीद की जाने वाली सामग्रियों के लिए फैक्स द्वारा भेजे गए आफर पर विचार किया जा सकता है बशर्ते संबंधित फार्म अपने पत्र शीर्ष पर टेंडर की शर्तों के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कंफर्मेशन कापी टेंडर खुलने की तिथि से 10 कार्य दिवस के भीतर जमा करे।

ii. तथापि, अन्य प्रकार के टेंडरों अर्थात लिमिटेड बुलेटिन एवं विज्ञापित ओपेन टेंडर इत्यादि के लिए फैक्स से प्राप्त तथा सभी तरह से पूर्ण तथा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित आफर टेंडर ओपेन करने के समय में यदि टेंडर बॉक्स में पाया जाता है तो वह समय पर पाया गया ऑफर समझा जाएगा, बशर्ते संबंधित फार्म अपने पत्र शीर्ष पर टेंडर की शर्तों के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कंफर्मेशन कापी टेंडर खुलने की तिथि से 10 कार्य दिवस के भीतर जमा करे।

iii. ग्लोबल टेंडर के तहत विदेशी कंपनियों से फैक्स के मार्फत से प्राप्त ऑफर के संबंध में कंफर्मेशन प्रति प्राप्त करने की समय सीमा 21 दिन की है।

iv. उपर्युक्त पैरा i, ii. तथा iii. में दर्शायी गई विधि से भिन्न रूप में फैक्स से प्राप्त अन्य सभी ऑफर अवैध माने जाएंगे। उपर्युक्त पैरा ii. एवं iii. के अनुसार फैक्स से प्राप्त ऑफर की यदि कनफर्मेशन की उपर्युक्त पैरा ii. एवं iii. के अनुसार यदि समय पर प्राप्त नहीं होता है तो उसे उदासीन (अनरिस्पांसिव) माना जाएगा।

v. फैक्स ऑफर के तहत बिना कनफर्मेशन कापी प्राप्त किये कोई भी क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

vi. निर्धारित समय व तिथि के भीतर उचित टेंडर बॉक्स में सिल कव्हर में फैक्स ऑफर जमा करने की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। उचित टेंडर बॉक्स में फैक्स ऑफर जमा करने के संबंध में, किसी भी प्रकार से रेलवे की कोई जिम्मेदार नहीं होगी।

vii. लेट एवं डिलेड टेंडर स्वीकार्य नहीं होंगे।

4. ड्राईंग तथा विनिर्देश

4.1. निविदा दस्तावेज के साथ यदि टेंडर शेड्यूल/इन्क्वायरी/ऑफर में यथावर्णित ड्राईंग तथा विनिर्देश नहीं दिये गये हों या निविदाकारों को एसईसीआर की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध नहीं कराये गये हों तो निम्न विधि से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है :–

i) विनिर्देश/एसटीआर/आरडीएसओ/आईसीएफ/डीएलडब्ल्यू/सीएलडब्ल्यू / कोर इत्यादि के ड्राईंग पेमेंट पर जिस संबंधित प्राधिकृत अधिकारी ने जारी किया है उससे प्राप्त किया जा सकता है।

ii) द.पू.मध्य रेलवे के संबंधित अधिकारी द्वारा फ्रेम किये गये ड्राईंग एवं विनिर्देश भंडार नियंत्रक, द.पू.मध्य रेलवे, जीएम एनेक्स बिल्डिंग, बिलासपुर 495 004 के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। तथापि, ऐसे मामलों में निविदाकार को –

(ए) निविदा दस्तावेज की कीमत जमा करने के संबंध में दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना पड़ेगा यदि वे ऐसे कागजात बिना मूल्य प्राप्त करने के पात्र/हकदार नहीं हों तो। बाद वाले मामले में निविदाकार को दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उन्हें बिना मूल्य के निविदा दस्तावेज प्राप्त हुआ है।

(बी) ऐसे निविदाकार जिन्होंने निविदा दस्तावेज डाउनलोड किया है उन्हें ड्राईंग तथा विनिर्देश प्राप्त करते समय डाउनलोड करने के संबंध में प्रूफ देना होगा।

4.2. यदि किसी निविदाकार ने अपना ड्राईंग नंबर/पार्ट नंबर विनिर्देश कोट किया है तो उन्हें अपेक्षित दस्तावेज एवं सूचना अपने ऑफर के समर्थन में आवश्यक रूप से यह देना होगा कि उनका ड्राईंग/विनिर्देश इत्यादि निविदा ड्राईंग/विनिर्देश के अनुरूप है। साथ ही ऐसे ड्राईंग, विनिर्देश/कैटलॉग को आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा अन्यथा ऑफर को निरस्त किया जा सकता है।

5. निविदा खुलने के समय प्रतिनिधि की उपस्थिति :–

खुली निविदा तथा स्पेशल लिमिटेड निविदा के लिए, निविदा खुलने के समय उपस्थित रहने वाले निविदाकार के इच्छुक प्रतिनिधि अपने संबंधित फर्म से उचित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत कर निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं अन्यथा ऐसा नहीं करने पर उन्हें उपस्थित रहने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकेगी। ऐसे फर्मों के प्राधिकृत प्रतिनिधि जिन्होंने निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किया है उन्हें निविदा खुलने के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जायेगी।

6. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात/विवरण :–

निविदा के साथ निम्नलिखित को जमा किया जाय –

i) रेलवे ऑर्डर के अनुरूप सप्लाई की गई/समान प्रकृति सप्लाई की गई सामग्री के संबंध में परफारमेन्स विवरण, यदि कोई सामान सप्लाई करना आदेश के तहत पेंडिंग है तो उसकी सप्लाई स्थिति/सही स्थिति आवश्यक रूप से दी जाय। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट।

ii) मेशेनरी एवं प्लॉट का डिटेल, अन्य उपकरण, टेस्टिंग सुविधा, क्वालिटी मैनेजमेंट, कंट्रोल सिस्टम तथा उपलब्ध टेक्नीकल मैन पॉवर का विवरण।

iii) निविदाकार को चाहिए कि वे आरडीएसओ के अनुमोदन जिसमें करेंट वैलिडिटी पिरीयड का जिक्र हो तथा जहां आवश्यक हो आरडीएसओ द्वारा क्यूएपी के संबंध में अनुमोदन से संबंधित दस्तावेजी सबूत।

iv) टेंडर के साथ सुलभ संदर्भ हेतु सप्लाई/परचेस आर्डर की फोटो प्रतियां सहित राईट्स/आरडीएसओ द्वारा किये गये निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं रिसिप्ट नोट की प्रतियां ताकि उनके विगत परफारमेन्स को अभिप्रमाणित किया जा सके।

v) मॉनिटरी लिमिट सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के साथ किया गया रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस ट्रेड ग्रुप के लिए पंजीकृत किया गया है तथा पंजीकरण की वैधता तिथि संबंधी कागजात।

vi) एनएसआईसी के साथ यदि रजिस्ट्रेशन किया गया है तो उसका प्रमाण पत्र।

vii) ईएमडी जमा करने या इससे छूट प्राप्त करने संबंधी सबूत/आधार।

viii) स्वीकृति स्वरूप संपूर्ण निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत् किया गया हस्ताक्षर।

7. दर, टैक्स एवं ड्यूटीज :—

7.1 निविदाकार को चाहिए कि पहले किए गए कार्य के बेसिक मूल्य के आधार पर पैकिंग चार्ज, फारवार्डिंग चार्ज, एक्साईज ड्यूटी, एजुकेशनल सेस सेल्स टैक्स/वैट तथा गंतव्य स्थल तक फ्रेट चार्ज को अलग—अलग दर्शायें। टेंडर किये गये प्रत्येक यूनिट के लिए लागू। फ्रेट चार्जेस तथा फारवार्डिंग चार्जेस पर ड्यूटीज एवं टैक्स देय नहीं है, इसलिए यदि निविदाकार कंपोजिट प्राईज कोट करता है तो उसे चाहिए कि उचित ब्रेकअप देते हुए वह फ्रेट चार्जेस तथा फारवार्डिंग चार्जेस को अलग—अलग दर्शाये।

7.2 निविदाकारों से अनुरोध है कि निम्न निबंधन के आधार पर कोट करे :— गंतव्य स्थल आधार पर, पहले किये गये कार्य के मूल्य के आधार पर अलग—अलग ब्रेकअप देते हुए ड्यूटीज, टैक्स, पैकिंग, फारवार्डिंग तथा फ्रेट कोट करे।

7.3 निविदाकार समान रेट यूनिट (संख्या/केजी/सेट/मीटर/किमी इत्यादि) को कोट करे जैसा कि टेंडर शेड्यूल में दिया गया है। इसका अनुपालन न करने की स्थिति में ऑफर को नजरअंदाज भी किया जा सकता है।

8. प्राइस वेरियेसन क्लॉज (कीमत भिन्नता खंड) :—

8.1 सामान्यतः रेलवे फर्म प्राइस कंट्रैक्ट को अधिमान्यता देती है।

8.2 तथापि, स्टोर सामग्री खरीद के ऐसे मामले हो सकते हैं जहां रॉ मटेरियल (स्टील, नॉन—फेरॉस) इंटेसिव हो सकता है जहां निविदाकार प्राइस वेरियेसन क्लॉज के साथ कोट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्राइस वेरियेसन क्लॉज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए तथा क्लीयर प्राइस वेरियेसन फार्मूला के आधार पर होना चाहिए। संदिग्धार्थी शर्तों जैसे ''प्राइस वेरियेसन क्लॉज लागू'' स्वीकार्य नहीं होंगे तथा ऐसे ऑफर को निरस्त किया जा सकता है।

8.3 निम्न प्राइस वेरियेसन क्लॉज सामान्यतः रेलवे को मान्य है :—

ए) आईईईएमए फॉर्मूला के तहत समाविष्ट आइटमों के लिए आईईईएमए पीवीसी।

बी) ऐसे फार्मूला के तहत समाविष्ट मदों के लिए रेलवे बोर्ड का पीवीसी।
सी) ऐसे फार्मूला के तहत समाविष्ट मदों के लिए डीजीएस एण्ड डी पीवीसी।

नोट – जिन निविदाकारों के ऑफर आईईईएमए पीवीसी, रेलवे बोर्ड, पीवीसी, डीजीएस एण्ड डी पीवीसी के साथ है, उन्हें संबंधित पीवीसी (आईईईएमए, रेलवे बोर्ड, डीजीएस एण्ड डी) में अनुबंधित बेस डेट के आधार पर इनपुट रॉ–मटेरियल की कीमत का उल्लेख करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप आईईईएमए पीवीसी के मामले में यदि टेंडर खुलने की तिथि किसी वर्ष के मई महीने में पड़ता है तो इनपुट रॉ–मटेरियल का प्राइस उस वर्ष के एक अप्रैल के दिन का प्राइस लागू होगा। यदि कोई निविदाकार अन्य बेस डेट (इनपुट रॉ–मटेरियल के प्राइस के लिए) के आधार पर कोट करता है तो ऐसे सभी ऑफर्स को संबंधित आईईईएमए, रेलवे बोर्ड, डीजीएस एण्ड डी के पीवीसी में दिए गए अनुबंधन के अनुसार कॉमन बेस डेट के आधार पर अपडेट किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप आईईईएमए पीवीसी के मामले में यदि कोई टेंडर किसी वर्ष के मई महीने में खोला जाता है एवं यदि किसी निविदाकार ने उक्त वर्ष के पहली अप्रैल से भिन्न किसी तारीख के बेस आधार को मानकर इनपुट रॉ–मटेरियल का प्राइस कोट किया है तो उक्त वर्ष (इनपुट रॉ–मटेरियल के लिए) के पहली अप्रैल के बेस तिथि के अनुसार कोट किए गए दर को ऑफर के मूल्यांकन के उद्देश्य से तथा ऑफर के इंटरसी (पारस्परिक) रैंकिंग के निर्धारण के लिए अपडेट किया जायेगा।

8.3.1 अन्य आइटमों के लिए जो उपर्युक्त किसी भी पीवीसी से कव्हर नहीं होते हैं, ऐसे मामले में, संबंधित स्टोर्स को ध्यान में रखते हुए अन्य पीवीसी के अनुसार विचार एवं स्वीकार किया जा सकता है यदि अन्य चीजें ठीक रूप में हों। तथापि, ऐसे सभी मामलों में कंट्रैक्ट प्राइस अपवार्ड/डाउनवार्ड को स्टोर्स के निरीक्षण तिथि के संदर्भ के साथ रेगुलेट किया जायेगा तथा टेंडर किये गये स्टोर्स के लिए विशिष्ट एजेंसियां जैसे एसएआईएल, एचजेडएल, एचसीएल इत्यादि द्वारा संबंधित इनपुट मटेरियल के प्राइस वेरियेसन की तिथि से एक माह के पश्चात निरीक्षण के लिए लागू होगा। जिस तारीख को स्टोर्स निरीक्षण के लिए ऑफर किये जाते हैं उस तारीख को प्राइस वेरियेसन क्लॉज के उद्देश्य से सप्लाई तिथि मानी जायेगी। आगे, ऐसे इनपुट मटेरियल के लिए बेस महीना टेंडर ओपेनिंग से पहले के एक महीना को माना जायेगा। इस संदर्भ में किसी भी दावे को तभी स्वीकार किया जायेगा जब सप्लायर सभी सपोर्टिंग डाक्यूमेंट्स जमा करे।

यदि कोई निविदाकार अनपुट मटेरियल के लिए किसी अन्य बेस महीने को आधार मानकर कोट करता है तो ऐसे सभी ऑफर को टेंडर ओपेनिंग से पहले के एक महीने के बेस महीने (इनपुट मटेरियल के लिए) के अनुसार अपडेट किया जायेगा। ऑफर का मूल्यांकन तथा ऑफर का पारस्परिक रैंकिंग का निर्धारण इसी आधार पर किया जायेगा।

8.4 ऐसे निविदाकार जो निविदा में रॉ–मटेरियल की कीमत में वृद्धि के कारण बढ़े हुए प्राइस के साथ दर कोट करते हैं वे कृपया यह नोट करें कि इस संबंध में उनके दावे पर रेलवे के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा उनसे मंगाई गई संदर्भित रिकार्ड का सत्यापन करने के पश्चात ही विचार किया जा सकेगा। सफल निविदाकार को संपूर्ण रिकार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें उनके दावे की स्वीकृति से पूर्व बढ़े हुए कीमत के दावे के संबंध में सत्यापन/परीक्षण हेतु टेंडर जमा करने के समय उपलब्ध ग्राउंड स्टॉक की स्थिति भी शामिल है। यदि निविदाकार इस रेलवे के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के समक्ष संतोषजनक रिकार्ड प्रस्तुत कर अपने दावे को स्थापित नहीं कर पाता तो ऐसे दावे को अस्वीकार किया जा सकता है या अनुपातिक रूप में कम किया जा सकता है।

8.5 सभी लीड एसीड बैटरियों के लिए विशेष निबंधन एवं शर्तें :– निविदाकारों को चाहिए कि वे रॉ–मटेरियल इनपुट के रूप में एक बैटरी के निर्माण करने में लगाये गये लीड का वजन कितना है, इसका उल्लेख करें। आपूर्ति की गई सामग्री पर सेटऑफ (बढ़ाई गई) मोडवैट/अतिरिक्त ड्यूटी यदि कोई हो जो निविदाकार के पास जमा हो उसे मोडवैट स्कीम के तहत प्राइस में कमी कर रेलवे (क्रेता) को पासऑन करना चाहिए।

9. एक्साइज ड्यूटी :

(ए) निविदाकारों से अनुरोध है कि वे अस्पष्ट शब्द जैसे "एक्साइज ड्यूटी लागू" जैसे शब्दों को कोट करने से बचना चाहिए तथा टेंडर किये गये स्टोर पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी की दर स्पष्ट शब्दों में कोट करना चाहिए। यदि कोट किए दर में एक्साइज ड्यूटी शामिल हो तो इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो ऐसा समझा जायेगा कि टेंडर बैच में अधिकतम प्राप्त दर में एक्साईज ड्यूटी शामिल है। सामान्य वाक्यांश जैसे "अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी" लागू होगा जैसे वाक्यांशों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। कृपया स्पष्ट रूप से लिखा जाय कि टेंडर किये गये आइटम के लिए दर में एक्साइज ड्यूटी शामिल है या नहीं।

यदि एक्साइज ड्यूटी अलग से चार्ज करना तो निविदाकार को चाहिए कि वह अपने ऑफर में लगने वाले एक्साइज ड्यूटी दर का सही रूप में उल्लेख करें।

यदि ऑफर कोट करने के समय रियायती एक्साइज ड्यूटी लागू हो तथा निविदाकार चाहता है कि आपूर्ति के समय वास्तविक एक्साइज ड्यूटी का भुगतान किया जाना चाहिए तो इसे स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि टर्न ओव्हर वेल्यू के आधार पर एक्साइज ड्यूटी घट–बढ़ सकता है तथा अधिकतम देय एक्साइज ड्यूटी का भी उल्लेख करना चाहिए। लगने वाली अधिकतम एक्साइज ड्यूटी की दर आधार पर निविदा का मूल्यांकन किया जायेगा। तथापि, मूल्यांकन के उद्देश्य से विचार किये गये अधिकतम एक्साइज ड्यूटी दर की सर्वोच्च सीमा के भीतर वास्तविक रूप से लगने वाले एक्साइज ड्यूटी का ही भुगतान किया जाय।

यदि एक्साइज ड्यूटी का ऑफर में कोई दावा नहीं किया गया है तथा एक्साइज ड्यूटी के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है तो एक्साइज ड्यूटी का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि ऑफर में ठीक–ठीक दर एवं सांविधिक वेरियेशन का ऑफर में फर्म द्वारा दावा किया जाता है तो ऑफर में ठीक–ठीक एक्साइज ड्यूटी का मूल्यांकन कर इसके भुगतान पर विचार किया जायेगा।

किसी भी परिस्थिति में, जब तक ऑफर में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख न किया गया हो कि कंट्रेक्ट की चालू अवधि में टर्न ओव्हर में वृद्धि के कारण एक्साइज ड्यूटी में घट–बढ़ हो सकता है, तो बढ़े हुए एक्साइज ड्यूटी का भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा।

यदि निविदाकार संबंधित एक्साइज टैरिफ नियम के तहत गुड्स का मिसक्लासिफिकेशन (गलत वर्गीकरण) करता है तो इस गलत वर्गीकरण के लिए बढ़े हुए एक्साइज ड्यूटी का रेलवे भुगतान नहीं करेगा।

दस्तावेजी सबूत तथा गवर्नमेंट अधिसूचना के आधार पर ही एक्साइज ड्यूटी का भुगतान किया जायेगा।

(बी) एक्साइज ड्यूटी का भुगतान तथा एक्साइज ड्यूटी मोडवैट नियम :–

1. नियमों की गलत समझ या मिसक्लासिफिकेशन के तहत सप्लायर द्वारा भुगतान किया गया टैक्स तथा ड्यूटीज के लिए क्रेता जिम्मेदार नहीं होगा तथा यदि सप्लायर के बिल में टैक्स या ड्यूटी समाविष्ट रहता है तो क्रेता उक्त भुगतान को अस्वीकार कर देगा।
2. एक्साइज ड्यूटी संबंधी प्रत्येक बिल के दावे के संमर्थन में निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

2.1 मूल्य के अनुसार एक्साइज ड्यूटी की दर। एक्साइज विभाग के संबंधित प्राधिकारी द्वारा स्टोर के यूनिट वैल्यू के रूप में निर्धारित रूपये .... पर कानूनन वर्तमान में संबंधित केस के संबंध में लगने वाला एक्साइज ड्यूटी की राशि रू..........

2.2 प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल पर चार्ज किया गया एक्साइज ड्यूटी संबंधित अधिनियम या नियम के प्रावधानों के तहत देय एवं कानूनन लगने वाला एक्साइज ड्यूटी से अधिक नहीं है।

2.3 प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में दावा किया गया एक्साइज ड्यूटी की राशि रू................ सभी प्रकार से नियमों के प्रावधानों के अनुसार है तथा स्टोर बिल में तत्संबंधी दर्शायी गई राशि का वास्तविक रूप से भुगतान एक्साइज प्राधिकारियों को किया गया है।

2.4 तिमाही समाप्ति के दौरान कि इस ठेके के तहत पहले ही प्रतिपूर्ति की गई एक्साइज ड्यूटी का कोई रिफंड नहीं लिया गया है, इस आशय का त्रैमासिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। विक्रता द्वारा रिफंड प्राप्त किये जाने की स्थिति में उसे क्रेता को उक्त राशि पासऑन कर देनी चाहिए।

2.5 मोडवैट प्रमाण पत्र – निविदाकार को अपने ऑफर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र देना है –
हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त प्राइस कोट करते समय वर्तमान मोडवैट स्कीम के तहत उपलब्ध काउंटर वेलिंग ड्यूटिज तथा सेंट्रल एक्साइज पर बढ़ी हुई ड्यूटी के प्रभावों को ध्यान में रखा है। हम आगे इस बात के लिए भी सहमत हैं कि अतिरिक्त ड्यूटिज तथा सेटऑफ जो भविष्य में फाइनल प्रोडक्ट के निर्माण में प्रयुक्त सभी इनपुट्स के संबंध में उपलब्ध होंगे उसे मोडवैट स्कीम के तहत सप्लाई तिथि को क्रेता को सूचित करते हुए प्राइस में कमी कर पासऑन करेंगे।

2.6 सभी लिड एसीड बैटरीज के लिए स्पेशल मोडवैट शर्तें – निविदाकार द्वारा रॉ–मटेरियल (लिड) पर होने वाले मोडवैट बेनीफिट के संबंध में विस्तृत जानकारी देनी होगी जिसे क्रेता को पासऑन किया जायेगा। निविदाकार को चाहिए कि रॉ–मटेरियल इनपुट के रूप में एक बैटरी के निर्माण में प्रयुक्त लिड के वजन के संबंध में जानकारी दे। आपूर्ति किये गये सामान पर अतिरिक्त ड्यूटी सेटऑफ तथा मोडवैट बेनिफिट्स जो निविदाकार के पास जमा हो उसे मोडवैट स्कीम के तहत प्राइस में कमी कर रेलवे (क्रेता) को पासऑन करना होगा।

10. विक्रय कर/मूल्य वर्धित टैक्स
जहां लागू हो विक्रय कर/मूल्य वर्धित टैक्स अलग से कोट किया जाना चाहिए।

रेलवे द्वारा अंतर्राज्य क्रय के संबंध में सीएसटी के लिए फार्म 'डी' जारी की प्रथा वापस ले ली गई है। फार्म 'डी' वापस लेने के परिणाम स्वरूप रेलवे को की जाने वाली अंतर्राज्य बिक्री पर सीएसटी की दर वही होगी जो राज्य में सेलिंग डीलर के लिए लागू वैट/स्टेट सेल्स टैक्स की दर है।

जहां कहीं मूल्य वर्धित कर लागू हो उसके संबंध में निम्नलिखित नोट किया जाय–

1 **i** निविदाकार को चाहिए कि वह वैट का सही–सही प्रतिशत कोट करे जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जायेगा।

ii दर कोट करते समय निविदाकार को चाहिए कि प्राइस में कमी करते हुए सेटऑफ/इनपुट टैक्स क्रेडिट

जो उसे वर्तमान सेल्स टैक्स प्रणाली से वैट प्रणाली में स्विच ओव्हर करने पर प्राप्त होगा को पासऑन करे तथा यह भी उल्लिखित करे कि कोट किये गये आइटम की प्रति यूनिट क्रेडिट की मात्रा कितनी है।

iii निविदाकार टेंडर में कोट करते समय निम्नलिखित घोषणा अवश्य करें – हम इस बात के लिए सहमत हैं कि ऐसे अतिरिक्त सेटऑफ/इनपुट टैक्स, क्रेडिट जो भविष्य में फाइनल प्रोडक्ट के निर्माण में प्रयुक्त सभी इनपुट्स के संबंध में प्राप्त होंगे को सप्लाई तिथि के दिन वैट योजना के अंतर्गत प्राइस में कमी कर पासऑन करेंगे तथा तद्नुसार क्रेता को सूचित करेंगे।

2. सप्लायर पेमेंट का दावा करते समय भुगतान करने वाले प्राधिकारी के पास निम्न प्रमाण पत्र जमा करेगा "हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि रू............. का अतिरिक्त सेटऑफ/इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हुआ है तथा तदनृसार उक्त राशि को क्रेता को पासऑन किया जा रहा है एवं उतनी देय राशि कृपया समायोजित की जाय।

यदि टैक्स पर कोई सरचार्ज लागू हो तो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि एक्साइज ड्यूटी तथा सेल्स टैक्स ऑफर में कोट नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि कोई एक्साइज ड्यूटी/सेल्स टैक्स लागू नहीं है।

11. आक्ट्राय (चुंगी) छूट प्रमाण पत्र :
क्रेता आक्ट्राय चार्ज का खर्च वहन नहीं करेगा और यदि ऐसा आवश्यक हुआ तो आक्ट्राय से छूट प्रमाण पत्र ही जारी किया जायेगा। यदि संबंधित म्युनिसिपल प्राधिकारी आक्ट्राय से छूट प्रमाण पत्र को स्वीकार या मान्य नहीं करता है तथा आक्ट्राय चार्ज का भुगतान करना जरूरी होता है तो इस खर्च का वहन सप्लायर को करना होगा।

12. आई.टी.सी.सी. : भारत सरकार के वर्तमान नियमों के तहत यह शासित होगा कि निविदाकार इन्कम टैक्स पैन नंबर का विवरण देंगे तथा इसकी एक फोटोकापी संलग्न करेंगे।

13. वैधता :
निविदाकारों को अपना ऑफर खुला रखने की वैधता अवधि न्यूनतम 90 दिनों की होगी। इससे कम ऑफर के खुले रखने की वैधता अवधि को रेलवे की अपेक्षाओं के प्रति उदासीन माना जायेगा।

14. मूल्यांकन मानदण्ड :

i निविदाकार द्वारा गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए डिस्काउंट सहित (यदि कुछ हो) कोट किये गये दर को, ऑफर के इंटर–सी–पोजीशन निर्धारण हेतु विचार करते समय, आधार माना जायेगा। डिस्काउंट के साथ जुड़े जल्दी भुगतान संबंधी शर्त, जल्दी रिसिप्ट नोट्स इत्यादि की शर्त को इंटर–सी–पोजीशन निर्धारण करते समय उन पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। तथापि, रेलवे डिस्काउंट सहित जल्दी भुगतान, जल्दी रिसिप्ट नोट्स इत्यादि पर विचार कर सकती है, यदि फर्म का ऑफर स्वीकार्य पाया गया।

ii ऑफर की इंटर–सी–रैकिंग कुल यूनिट दर के आधार पर निर्धारित किया जायेगा जिसमें मूल दर, एक्साइज ड्यूटी, एजुकेशनल सेस, एसटी, पैकिंग चार्ज, फारवर्डिंग चार्ज, फ्रैट, इंश्यूरेंस तथा निविदाकार द्वारा कोट किया गया अन्य चार्ज या लागत शामिल होंगे। पी.वी.क्लॉज सहित ऑफर के मामले में,

निर्धारण के प्रयोजन के लिए, कोट किये गये दर को, कॉमन बेस–डेट के साथ अपडेट किया जायेगा।

iii निविदा में जब तक विशेष रूप से कोई अन्य मूल्यांकन मापदण्ड उपवर्णित नहीं हो तब तक बिडर (बोलीदाता) के इंटर–सी–पोजीशन के मूल्यांकन के लिए मापदण्ड का आधार आइटमवाइज तथा डेस्टीनेशनवाइज होगा।

निविदा की सामान्य शर्तें

1. ऑफर की स्वीकृति :

भंडार नियंत्रक किसी न्यूनतम या किसी अन्य ऑफर को न तो स्वीकार करने के लिए और न ही इसके लिए किसी कारण दर्शाने के लिए बाध्य हैं तथा ऑफर के संबंध में निविदा में वर्णित किसी मद के संपूर्ण या किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार उनके पास सुरक्षित रहेगा तथा कंट्रैक्टर कोट किये गये दर पर सामग्री सप्लाई करने के लिए बाध्य होगा।

2. मात्रा/परिमाण के संबंध में आदेश :

2.1 रेलवे के पास, टेंडर की गई संपूर्ण सामग्री या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदाकार द्वारा पूरी मात्रा/परिमाण के लिए कोट किये गये दर को ही मान्य समझा जायेगा।

2.2 जहां कहीं भी आवश्यक होगा, क्रेता द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की खरीद, क्रिटिकल तथा महत्वपूर्ण सामग्रियों की सहज उपलब्धता, खरीद की मात्रा, डिलीवरी रिक्वायरमेंट, फर्म की क्षमता तथा इसके पिछले कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, दो या दो से अधिक स्रोतों से कर सकती है।

2.2.1 टेंडर में दी गई मात्रा को स्प्लिट (अलग–अलग) करने का मापदण्ड :

अलग–अलग मात्रा में खरीद के आदेश देने के मामले में निम्न मापदण्ड लागू होंगे :–

2.2.1.1 खरीद की जाने वाली सामग्री की मात्रा, एक या एक से अधिक योग्य निविदाकारों के बीच डिस्ट्रीब्यूट (बांटने का) करने का अधिकार क्रेता के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसे सफल निविदाकारों के जोन–ऑफ–कंसिडरेसन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार क्रेता के पास सुरक्षित रहेगा।

2.2.1.2 जब कभी, टेंडर की गई/खरीद की जाने वाली सामग्री की मात्रा का डिस्ट्रीब्यूशन/स्प्लिटिंग करना हो तो (अग्रलिखित पर निर्भर करेगा–उल्टी (इनवर्स)रीति से तथा निविदाकारों द्वारा कोट किए गए विभिन्न दरों में अंतरों, पर्याप्त क्षमता सह सामर्थ्य, निविदाकारों की पिछला संतोषप्रद कार्य निष्पादन, खरीद करने वाले रेलवे के लिए बकाया आर्डर लोड, टेंडर इन्क्वायरी इत्यादि में समाविष्ट, डिलीवरी शैड्यूल की तुलना में कोट की र्ग डिलीवरी शैड्यूल, (एक समान होने पर) इत्यादि तथ्य) निम्न रीति से किया जायेगा।

एल 1 तथा एल 2 के बीच कीमतों में अंतर	एल1 तथा एल 2 के बीच मात्रा डिस्ट्रीब्यूशन अनुपात
3% तक	60.40
3% से अधिक तथा 5% तक	65.35
5% से अधिक	एल 1 टेंडरर को कम से कम 65% . एल 2 टेंडरर को आदेशित की जाने वाली मात्रा के लिए रेलवे नीचे पैरा 2.2.1.5 एवं 2.2.1.6 में दी गई शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

2.2.1.3 एल 2 निविदाकार उच्च निविदाकार पर आदेश द्वारा मात्रा का विभाजन करना अपेक्षित हो तो निविदाकारों के बीच मात्रा के वितरण का अंश उपर्युक्त पैरा में निर्दिष्ट मॉडल के एक्स्ट्रापोलेशन के आधार पर पारदर्शी/तार्किक/समता द्वारा इसका निश्चय किया जाएगा ।

2.2.1.4 केता उच्च निविदाकार को थोक में आपूर्ति के लिए न्यूनतम स्वीकार्य दर को काउंटर फाइल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । इस प्रकार के काउंटर फाइल के रद्द होने की दशा में केता को मात्रा वितरण के अनुपात/अंश पर निर्णय लेने का अधिकार रहेगा ।

2.2.1.5 केता के विवेक पर उच्चतम पात्र निविदाकार की दर को विचार क्षेत्र में दृढ़ता का पालन करना पड़ेगा ।

2.2.1.6 अपर्याप्त क्षमता क्षमता व योग्यता,पिछले कार्यनिष्पादन का असंतोषप्रद, विशिष्ट आदेशों की दीर्घ मात्रा (लिक्विडेशन जिसमें ज्यादा समय लगेगा) इत्यादि के मामलों में केता को इन प्रतिबंधों पर विचार करके प्रापण योग्य मात्रा को निविदाकारों के बीच वितरित करने का अधिकार रहेगा तथा इस प्रकार से रेलवे के संचालन,अनुरक्षण,संरक्षा इत्यादि,निविदाकारों की आपसी रैंकिंग की असावधानी तथा प्राकृतिक न्याय एवं समता की पुष्टि का ध्यान रखते हुए स्पष्ट एवं पारदर्शी ढंग से आवश्यकतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित मात्रा में सामग्री की आपूर्ति समय पर हो ।

2.3 टी ओ टी/जे वी करार में रेलवे/पीयूएस के प्रवेश के मामले में :
चुंकि रेलवे ....जैसे कई फर्मों के साथ टी ओ टी में प्रवेश पा चुके हैं,अतः सभी टीओटी/जेवी एग्रीमेंट पार्टनर के पास आर्डर रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यद्पि ऐसे टीओटी/जेवी एग्रीमेंट पार्टनर के बीच मात्रा वितरण के अंश/अनुपात के लिए पैरा 2.2.1.2,2.21.3 एवं 2. 21.4 में दिये गये ब्यौरे के अनुसार "विचार क्षेत्र के भीतर उच्चतम पात्र निविदाकार की दर को केता के विश्वास,दृढ़ता पर करना होगा" की शर्त की पुष्टि का अपवाद होगा ।

2.4 जहां सतत प्रकृति की आवश्यकताओं वाली सामग्रियों की आपूर्ति के लिए निर्धारित किये गये मात्रा संविदा हेतु निविदा में एवं 75 लाख रूपये से अधिक मूल्य वाली निविदा में केता को बड़ी मात्रा हेतु उपयुक्त डिलवरी सहित संविदा की करेंसी के दौरान उसी मूल्य तथा शर्तों एवं निबंधन के आधार पर आदेशित मात्रा की 30 प्रतिशत से कम के आदेश में इसे बढ़ाने तथा/अथवा घटाने का अधिकार होगा ।
केता को डिलवरी की अंतिम तिथि के पूर्व प्रारंभिक आदेशित मात्रा की पूरी तरह सप्लाई होने पर भी पर्याप्त नोटिस देते हुए संविदा की अंतिम डिलवरी होने की तिथि तक किसी भी समय (+) 30 % से आदेशित मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

3. अनुमोदित स्रोतों से प्रापण :–

3.1 आरडीएसओ द्वारा अनुमोदितः

3.1.1 प्रापण नीति के अनुसार जहां भी आवश्यक हो थोक खरीद उसी फर्म से की जाए जो ऐसे आर्डरिंग अर्थात मदों के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए निविदा खोलने के पूर्व भाग–। वेंडर्स के लिए आरडीएसओ द्वारा अनुमोदन प्राप्त है ।

निविदाकार अपने कोटेशन के साथ आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित पत्रों की प्रतियां भी संलग्न करें। फर्म की स्थिति की गणना टेंडर खुलने के आधार पर जाएगी न कि उसके बाद । परन्तु डाउनग्रेडिंग/रिमुवल/सस्पेंशन/बैनिंग इत्यादि के मामले में निविदा के खुलने के बाद इस प्रकार का परिवर्तन प्रस्ताव के विचार करने के दौरान के लेखे पर लिया जाएगा ।

3.1.2 सामान्य रूप से आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित फर्म पर आदेश पार्ट–।। वेंडर्स के रूप में डेवलपमेंटल आडर्स होगा ।

3.1.2.1 सामान्य रूप से आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित फर्म पर आदेश पार्ट–।। वेंडर्स के रूप में 15% तक सीमित होगा ।

3.1.2.2 3 वर्ष पूर्ववर्ती में इसी रेलवे यूनिट अथवा अन्य रेलवे यूनिट/उत्पादन इकाईयों में बड़ी मात्रा में सफलतापूर्वक कार्यनिष्पादन किये जाने की स्थिति में प्रतियोगी मूल्य रैकिंग सहित भाग–।। अनुमोदित स्रोत के आधार पर आदेश को 15 % से आगे पर विचार किया जा सकता है । परिणात्मक और गुणात्मक दोनो कार्यनिष्पादन के द्वारा ही सफल कार्यनिष्पादन का महत्व निर्धारित होता है। मात्रा की उच्चतर सीमा हेतु ऐसे स्रोतों पर आदेश,पात्र मामलें में नये स्रोतों पर एवं इस प्रकार के शैक्षणिक आदेश पर विद्यमान प्रक्रिया का सख्त अनुपालन करते हुए प्रतिपूर्ति के मामले में कुल प्रापण योग्य मात्रा 25 % से अधिक नहीं होगा । अर्थात भाग–।। स्रोत पर आर्डरिंग मात्रा 15 % तक अथवा गत आदेश की उच्चतम मात्रा किये जा सकते हैं, 3 वर्ष पूर्ववर्ती में इसी रेलवे यूनिट अथवा अन्य रेलवे यूनिट/उत्पादन इकाईयों में सफलतापूर्वक कार्यनिष्पादन किये हो,ऐसी स्थित में जो उच्चतर हो परन्तु वह प्रापण मामले में दिये गये प्रापण योग्य मात्रा का अधिकतम 25 % होगा ।

3.1.2.3 यद्पि प्रापण मामले में दिये गये कुल प्रापण योग्य मात्रा साथ में लिये गये सभी भाग–। अनुमोदित वेंडर्स पर कुल मात्रा का आदेश किया जाना 25 % से अधिक न होगा ।

3.1.2.4 भाग–।। के सभी अनुमोदत वेंडर्स को पी.ओ., प्रापण अधीन सामग्री की अधिकतम मात्रा से संबंधित निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं आर.नोट्स/प्रमाणपत्र किसी जोनल रेलवे/उत्पादन इकाई द्वारा पूर्ववर्ती 3 वर्षों में उन्हें किसी सिंगल आदेश सौंपे हो की सफलतापूर्वक सप्लाई करने के संबंध में दस्तावेजों की जेराक्त प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । ऐसे निविदाकार यह नोट करें कि इस प्रकार के दस्तावेज नहीं सौंपे जाने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वे पूर्व में ऐसा कोई कार्य निष्पादन नहीं किये हैं और इस प्रकार उनके प्रस्ताव को विद्यमान नियम के अनुसार आगे यह कहकर वापिस कर दिया जाएगा कि इस संबंध में उनका कोई पिछला संदर्भ नहीं है ।

3.1.2.5 यदि कोई निविदा फर्म किसी बल्क आदेश के प्लेसमेंट अथवा डेवलपमेंटल आदेश के लिए उपर्युक्त निर्दिष्ट अनुसार आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित नहीं हो तो उन्हें अपने क्रेडेंसियल डिटेल्स अर्थात मशीनरी एंड प्लांट,टेस्टिंग सुविधाएं,क्यूएपी,तकनीकी मैनपावर इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । डिसर्विंग मामलों में आरडीएसओ द्वारा क्षमताओं/योग्यताओं का निर्धारण करने के बाद शैक्षणिक आदेश के लिए उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है । ऊपर निर्दिष्ट अनुसार अपेक्षित क्रेडेसिंयल प्रस्तुत करने में असफल होने की स्थिति में उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

3.2 डीएलडब्ल्यू/सीएलडब्लयू/आईसीएफ/सीओआरई/आरसीएफ/ सीएमई/सीईई–दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अनुमोदित :–

जहां कहीं भी आरडीएसओ आता हो को छोड़कर उक्त पैरा 3.1 में दिये गये ब्यौरे के अनुसार आरडीएसओ अनुमोदत स्रोतों के मामलों की तरह यह शर्त लागू होंगें। इसे डीएलडब्ल्यू/सीएलडब्लयू/आईसीएफ/सीओआरई/आरसीएफ/सीएमई/सीईई की जगह लिया जाए ।

3.3 उपर्युक्त पैरा 3.1 एवं 3.2 दिये गये के अलावा इस श्रेणी में आने वाली सामग्रियों की प्रतिपूर्ति :

इन मामलों में जो निविदाकार पात्रता नियमों का अनुपालन/पुष्टि (निविदा की विशेष शर्तों अथवा निविदा अनुसूची में दिये गये विवरण के अनुसार) करते हैं से थोक प्रतिपूर्ति करवाने हेतु रेलवे के पास अधिकार सुरक्षित है जबकि परीक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम मात्रा के लिए डेवलपमेंट आदेश अन्य स्रोतों जिसके प्रस्ताव प्रतियोगी होते हैं और जिन्होंने अपनी क्षमता व योग्यता एवं प्रथम दृष्टया के संबंध में अपनी पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया हो के आधार पर रिप्लेसमेंट के लिए, रेलवे की संतुष्टि पर कि ये आदेशों के निष्पादन को पूरा करने में योग्य हैं और भले ही इनके द्वारा पूर्व में थोक मात्रा की आपूर्ति करने की क्षमता न रही हो, को विचार किया जा सकता है ।

4. खरीदी/मूल्य प्राथमिकता खंडः

समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार क्रेता को किसी खरीदी/मूल्य प्राथमिकता के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट तथा/अथवा लघु उद्योग/कुटीर उद्योग यूनिट,अन्य फर्म से प्रस्ताव मंगाने का अधिकार होता है। यद्पि उक्त मूल्य प्राथमिकता(वरीयता) की गारंटी नहीं ली जा सकती तथा प्रत्येक उद्यम को लागत कम करने एवं प्रतिस्पर्धा बनाये रखना आवश्यक है ।

5. आयातित मदों के लिए कोटेशनः–

5.1 विदेशी मुद्रा में कोटेशन :–

5.1.1 कृपया नोट करें कि विदेशी विनिमय में कोटेशन प्राप्त होने के मामले में फर्म को एफओबी आधार पर इसे कोट किया जाए ।

5.1.2 सीमा शुल्क के बढ़ने के कारण क्रेता को कोई अतिरिक्त खर्च आया हो,विस्तारित डिलवरी अनुसूची के दौरान विनिमय में परिवर्तन के कारण हुई अतिरिक्त लागत के रूप में भाड़ा प्रभार लगा हो तो इसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी ।

5.2 भारतीय मुद्रा में भारतीय एजेंटों द्वारा प्रस्तुत आयातित सामग्री :–

कोई भी अधिकृत डीलर/एजेंट/मान्यता प्राप्त औदयोगिक वितरक जो भारतीय मुद्रा में अपने विदेशी प्रिंसपल की ओर से दर निर्धारित करें तो उन्हें निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा :–

1. विदेशी निर्माता से निविदा में विशिष्ट प्राधिकरण कोट करना ।
2. (।) किसी विदेशी प्रिंसपल निविदाकार की ओर से दर प्रस्तुत करने की स्थित में उनके कोटेशन के साथ प्रिंसपल के इनवाइस/प्रोफार्मा इनवाइस प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

   (।।) प्राफार्मा इनवाइस,यद्पि इसे संविदा के समक्ष रखने के लिए इनवाइस प्राप्त करना संभव नहीं होता तब इसे अपवाद रूप में स्वीकार किया जाए ।

3. निविदाकार निविदा में निम्नलिखित का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होगा :–

(ए) माल के लिए बिल एंट्री हेतु कस्टम का प्रवेश पत्र की प्रतिलिप प्रस्तुत करने की सहमति,निर्माता द्वारा जारी प्रत्येक कंसाइनमेंट से संबंधित निर्माता का परीक्षण एवं गारंटी प्रमाण पत्र,कंसाइनमेंट से संबंधित लैडिंग/एडब्ल्यूबी के बिल की प्रतिलिपि, प्रत्येक कंसाइनमेंट से संबंधित विदेशी निर्माता/प्रिंसपल्स की वाणिज्य इनवाइस की प्रतिलिपि ।

(बी) विदेशी निर्माता/प्रिंसपल की वर्तमान एवं वैध प्राधिकरण/डीलरशिप ।

(सी) संविदा पैरा–1800 के आईआरएस शर्तों में निर्दिष्ट पैकिंग शर्तों के अनुपालन में निर्माता का टेम्पर प्रुफ सील सहित निर्माता की मूल पैकिंग में सील/एआर सही पैंकिंग शर्तों का अनुपालन करना।

उपर्युक्त निर्दिष्ट के अनुसार उपर्युक्त कथित शर्तों में से किसी का पालन करने में असफल होने पर आफर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

4. आफर प्रस्तुत करते समय निविदाकार निम्नलिखित का अवश्य उल्लेख करें :–

(ए) विदेशी निर्माता/प्रिंसपल तथा उनके एजेंटों/सहयोगियों के बीच यथार्थ संबंध ।

(बी) निर्माता/प्रिंसपल एवं भारतीय एजेंट/सहयोगियों के एक दूसरे के व्यवसाय में आपसी अभिरूचि का उल्लेख करें।

(सी) भारतीय एजेंट अपने स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख करें ।

5. संविदा की पेंडेंसी के दौरान सीमा शुल्क एवं विनिमय दर में परिवर्तन के कारण हुई किसी अतिरिक्त खर्च का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा ।

6. दूसरे देशों में बियरिंग निर्माण करने के लिए आयात दस्तावेजों एवं मूल निर्माता का परीक्षण एवं वारंटी/गारंटी प्रमाण पत्र के साथ भारत के भीतर राइटस द्वारा दृष्टि निरीक्षण करने के बाद यह स्वीकार्य होता है । संविदा के अपेक्षित निष्पादन के लिए आईआरएस शर्तों के अनुसार यदि अपेक्षित हो तो सुरक्षा निधि जमा करने की सहमति फर्म से होनी चाहिए । यह तथ्य को ध्यान में रखे बिना होता है कि क्या फर्म रेलवे से पंजीकृत है या नहीं ।

6. भुगतान शर्तें :–

6.1 भंडार अथवा प्रत्येक कंसाइनमेंट के लिए ठेकेदार को इसका भुगतान संविदा में निर्धारित दस्तावेजों के साथ बिलों को प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा ।

6.2 भंडार अथवा प्रत्येक कंसाइनमेंट के लिए ठेकेदार को इसका 95 % भुगतान निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य के प्रेषण के आधार पर किया जाएगा। सड़क मार्ग से सामग्री को भेजने के लिए कंसाइनी के पास सामग्री की प्राप्ति के संबंध में कंसाइनी राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता के चालान को विधिवत प्रमाणित किया जाता है जिसे भुगतान के प्रयोजन से प्रेषण साक्ष्य के रूप में बनाना होगा । रेल प्रेषण के लिए प्रेषण साक्ष्य के रूप में क्लियर एवं अनक्वाइफाइड आरआर/पीडब्ल्यूबी बनाया जा सकता है ।

6.3 शेष 5% का भुगतान सार्थक पावती नोट देते हुए कंसाइनी द्वारा पावती एवं स्वीकृति आधार पर किया जाएगा, दूसरे शब्दों में शेष 5% का भुगतान पावती नोट के आधार पर किया जाएगा ।

6.4 तथापि इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 5 लाख रूपये के मूल्य वाले आदेशों के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा और कंसाइनी द्वारा अर्थात पावती नोट के आधार पर सामग्री की प्राप्ति एवं स्वीकृति के आधार पर 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा ।

6.5 डिजर्विंग मामले में विद्यमान नियम एवं प्रक्रिया के भीतर 98%/ 2% भुगतान किया जा सकता है ।

6.6 मशीनरी एवं प्लांट मदः–80% का भुगतान निरीक्षण प्रमाणपत्र एवं आपूर्तिकर्ता के चालान जो कि परेषिती के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो के आधार पर परेषिती सीमा या स्थान में अच्छी तथा स्वीकार्य हालत में मशीन को प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। शेष 20 % भुगतान सफलतापूर्वक इंस्टालेशन, कमीशनिंग एवं मशीन का परीक्षण एवं साथ ही मशीन या प्लांट के मूल्य के 10 % हेतु ठेकेदार के वारंटी आब्लिगेशन के संबंध में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा।

6.7 प्रस्ताव के पारस्परिक रैंकिंग के निर्धारण हेतु किसी निर्धारित दिनों के भीतर रिसिट नोट की शीध्र भुगतान तथा/अथवा शीध्र स्वीकृति के साथ जुड़े डिस्काउंट/ रिबेट पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा । तथापि रेलवे को इस प्रकार के डिस्काउंट/ रिबेट स्वयं उपयोग करने का अधिकार होता है ।

7. निरीक्षण खंडः

(क) कच्चे सामग्री के अलावा रेलवे की निजी सामग्री जैसे रोलिंग स्टॉक के पार्ट्स एवं फिटिंग्स जिसे निरीक्षण के दौरान रेक्टीफाइड कर लिया गया हो और जिसे रैक्टीफाइड नहीं किये जो सके हो,ऐसी स्थिति में संपत्ति के स्थायी विफलता को दूर करने के लिए और ऐसे रिजेक्टेड सामग्री की रिसाइक्लिंग से बचने के लिए निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा इस डिफेस्ड करने की आवश्यकता होती है । रेलवे को ऐसे निजी रिजेक्टेड सामग्री को पुनः रेलवे को विक्रय करने से बचने के लिए यांत्रिकी रूप से डिफेस करना चाहिए ।

(ख) (I) रेलवे के आप्शन पर अथवा निविदा जांच में बताये अनुसार सामग्री का आरडीएसओ अथवा राइट्स द्वारा पूर्व निरीक्षण किया जाए । निविदाकारों से अनुरोध है कि वे तदनुसार कोट करें । निर्धारित तिथि के बाद निरीक्षण खंड में किसी तरह के बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(II) निरीक्षण करने वाली एजेंसी को जारी निरीक्षण काल के संबंध में निरीक्षण के लिए सामग्री आफर हेतु फर्म के विफल होने की स्थिति में अथवा निरीक्षण करने वाली एजेंसी द्वारा फर्म के ही परिसर में सामग्री के रिजेक्शन के कारण यदि सामग्री का पुनः निरीक्षण करना पड़े या निरीक्षण प्रमाणपत्र की वैधता तिथि के भीतर सामग्री का प्रेषण न हो तो अधिकतम 5,000/– एवं परीक्षण प्रभार की वास्तिवक लागत से अधिक होने पर ऑफर किये गये मात्रा के लिए लागू 50% निरीक्षण प्रभार निरीक्षणकर्ता एजेंसी को आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

(III) ट्रेडर्स/अधिकृत एजेंट्स से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्माता के परिसर में ही निरीक्षण हेतु सामग्री का ऑफर करें।

(ग) सामग्री प्राप्त कर लेने के बाद आपूर्ति की गई सामग्री की अंतिम जांच एवं स्वीकृति परेषिती द्वारा करना होगा ।

(घ) रेलवे की अतिरिक्त उपयोग हेतु रिजेक्ट किये गये सामग्री को यह सुनिश्चित करने के लिए डिफेस करना होगा कि रिजेक्ट किये गये मटेरियल को रिसाइकल न किया जाए और दूसरे रेलवे अथवा क्रेता को सप्लाई न की जाए ।

8. डिलवरी की शर्तें :–

(क) सड़क मार्ग से प्रेषण को प्राथमिकता दी जाए ।

(ख) आपूर्तिकर्ता को चाहिए कि वे एफओआर कंडीशन अर्थात प्रेषण स्टेशन या गंतव्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें । यदि फर्म का ऑफर एफओआर गंतव्य होता है तो इसके लिए लागू भाड़ा प्रभार का स्पष्ट उल्लेख करें ।

(ग) ट्रांजिट में जोखिम हेतु ट्रांजिट बीमा की व्यवस्था आपूतिकर्ता द्वारा किया जाए क्योंकि ऐसे सभी मामलों में परिवहन में जोखिम आपूर्तिकर्ता की होती है ।

(घ) वह फर्म जो प्रेषण आधार पर एफओआर स्टेशन पर सड़क द्वारा भंडार प्रेषण का ऑफर करता है,परन्तु भाड़ा प्रीपेड गंतव्य तक हो तो इस हेतु भाड़ा प्रभार की प्रतिपूर्ति की मांग की जाए । इस प्रकार की प्रतिपूर्ति एक्चुअल पर और उनके द्वारा निर्दिष्ट किये गये भाड़ा प्रभार की उच्चतर सीलिंग के भीतर दस्तावेजी साक्ष्य अथवा पासिंजर गाड़ी द्वारा रेल भाड़ा जो भी न्यूनतम हो, पर की जाएगी । हॉलाकि ऑफर के मूल्यांकन के लिए कोटेड भाड़ा होता है जिस पर विचार किया जाएगा।

9. डिलवरी अनुसूचीः

(क) निविदा अनुसूची/ऑफर फार्म में दिये गये अपेक्षित डिलवरी अनुसूची को निविदाकार नोट करें एवं तनदनुसार कोट करें । अनिश्चित डिलवरी अवधि जैसे 2/32 सप्ताह इत्यादि को टालना चाहिए और ऐसा किया जाता है तो रेलवे की आवश्यकता के अनुसार इसे वाणिज्यिक तौर पर भावशून्य के रूप में लिया जाएगा ।

(ख) खरीद आदेश में निर्धारित किये गये अनुसार डिलवरी की तारीख एवं समय संविदा का सार होता है। तथापि जहां वास्तविक कारण हो वहां डिजर्विंग मामले में डिलवरी तारीख के विस्तार पर विचार किया जा सकता है। संविदा की आईआरएस शर्तों के अनुसार लिक्विडेटेड डेमेज एवं डेनियल क्लाज के साथ डिलवरी तारीख के विस्तार पर विचार किया जा सकता है ।

(ग) सप्लाई संविदा में लिक्विडेटेड डेमेज की कटौती के लिए उच्चतर सीमा संविदा में निर्धारित, इसमें किसी बात के होते हुए भी बिलंब को ध्यान में रखे बिना विलंबित सप्लाई का मूल्य 10% होगा ।

(घ) किसी ठेकेदार द्वारा संविदा में डिलवरी हेतु निर्धारित अवधि के भीतर अथवा प्रत्येक माह अथवा माह के दौरान किसी भाग जो कि ऐसे भंडार की डिलवरी बकाया हो जहां उक्त अवधि के खत्म होने के बाद स्वीकार किये जाते हो बशर्तें कि विलंब से किये गये सप्लाई का मूल्य प्रतिशत दस से अधिक न हो के विस्तार के अनुसार डिलवरी देने में असफल होने पर किसी भी भंडार के (करों,शुल्क,भाड़ा इत्यादि के एलीमेंट सहित) के मूल्य का 2 % (दो प्रतिशत) के बराबर राशि की कटौती रेलवे द्वारा एग्री किये गये लिक्विडेटेड डेमेज के रूप में ठेकेदार से कटौती करें न कि पेनाल्टी रूप में ।

10. कारटेल फारमेशनः–

(क) जहां सभी अथवा अधिकतम अनुमोदित फर्म द्वारा एकसमान दर का उल्लेख किया जाता और कारटेल संदिग्ध हो तो इसमें बिना किसी कारण का उल्लेख किये शेष को स्थान न देते हुए एक या एक से अधिक फर्म को आर्डर प्लेस करने का अधिकार रेलवे के पास सुरक्षित होता है ।

(ख) फर्मो से अपेक्षा की जाती है कि वे टेंडर किये गये मात्रा की 50 % से कम की मात्रा के लिए कोट न करें । टेंडर किये गये मात्रा से 50 % से कम की मात्रा के लिए ऑफर करने पर इसे भावशून्य माना जाएगा और इस कारटेल फारमेशन में संदिग्ध मानकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा । तथापि रेलवे को यह अधिकार होगा किसी कोई भी मात्रा के लिए एक या एक से अधिक फर्म को आदेश दे सके।

(ग) जो फर्म कारटेल में कोट करते हों उसे यह चेतावनी दी जाए कि उनके नाम अनुमोदित स्रोतों की सूची से हटाया जा सकता है ।

(घ) जहां कहीं भी अनुमोदित स्रोतों से कारटेल फॉरमेशन संदिग्ध पाया जाता है तो वहां रेलवे को भाग–।। स्रोतों और क्रमशः 15% और 5% की सीमा के आगे नये स्रोतों पर आर्डर प्लेस करने का अधिकार होता है ।

कमशः 15 प्रतिशत और 05 की सीमा से अधिक के नये स्त्रोत.

11. जोखिम कय बनाने हेतु समय :
इस प्रकार की खरीदी संविदा भंग होने की तारीख से 9 माह के भीतर करना होगा जबकि संविदा की भारतीय रेल मानक (आईआरएस) शर्तो से संबंद्ध खंड द्वारा संचालित होगें ।

12. वारंटी बैंक गारंटी
संयत्र और मशीनरी, मंहगे उपकरण, पूँजीगत स्पेयर जैसे मदों के लिये, निविदाकर्ता अपनी वारंटी के समर्थन हेतु सामग्री मूल्य के 10 प्रतिशत वारंटी बैंक गारंटी के रूप में जमा करेगा। वारंटी बैंक गारंटी का प्रारूप इसके साथ संलग्न है।

13. आपूर्ति की गई सामग्री का चिन्हाकंन/प्रमाणन
निविदाकर्ता सभी सामग्रियों/घटक की कार्य उपयोगिता और ढॉचागत योग्यता को नुकसान पहुॅचाए बिना आपूर्ति किये गये प्रत्येक भाग के उचित स्थान पर निर्माता का नाम, उत्पादन माह और वर्ष की कास्टिंग/स्टैंपिंग/इंचिंग/उत्कीर्ण करने के लिए सहमत होगा।

14. निर्माताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि/वितरकों से प्राप्ति।
केवल निर्माता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि/वितरक द्वारा निविदा के साथ निर्माता का विशिष्ट प्राधिकार उद्धत करना आवश्यक है अन्यथा प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जा सकता है।

जहॉ निर्माता किसी विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट मद के समूह के लिए लिखित करार के आधार पर प्रतिनिधि या कोई वितरक को नियुक्त किया जाता है तो वह निम्न प्रभाव के लिए एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा :

1. संबंधित निर्माता के निर्माण परिसर का राइटस/आरडीएसओ द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। राइट्स/आरडीएसओ निरीक्षण प्रमाणपत्र में वर्गीकृत प्रमाणित करेगा कि सामग्री का निरीक्षण निर्माता के निर्माण परिसर में ही किया गया है तथा किसी गोदाम/वेयरहाउस या प्रतिनिधि के दुकान में नही किया गया।
2. राइट्स/आरडीएसओ द्वारा निरीक्षण और अनुमोदन के पश्चात सीधे निर्माता के परिसर से रेलवे परेषिती को भेजी जाएगी।
3. आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक लॉट के साथ निर्माता परीक्षण और गारंटी प्रमाणपत्र जमा करेगा।
4. प्राधिकृत प्रतिनिधि/वितरक का मूल्य निर्माता द्वारा कोट (उद्धत) किये गये दर से अधिक नही होगा।
5. एक विशिष्ट निविदा में एक प्रतिनिधि दो आपूर्तिकर्ता का प्रतिनिधित्व या उनके एवज में (कोट) उद्धत नही कर सकता।

15. गिरावट खण्ड
नीचे उल्लिखित गिरावट खण्ड सभी संविदा दरों और निविदा अनुसूची या/निविदा की विशेष शर्तों में विशिष्ट रूप से उपलब्ध निश्चित मात्रा/चालू संविदाए के लिए लागू होगी ।

15.1 ठेकेदार द्वारा संविदा के अधीन आपूर्ति किए गए भंडार के लिए प्रभारित मूल्य किसी भी परिस्थिति में उस न्यूनतम मूल्य से अधिक नहीं होगा

15.2 जिस पर ठेकेदार, उस अवधि के दौरान, जब तक कि दिए गए सभी सप्लाई आदेश का निष्पादन संविदा के चालू रहने के दौरान, पूरा नहीं कर लिया जाता, किन्हीं व्यक्तियों/संस्थाओं को जिसमें क्रेता अथवा केन्द्र सरकार का विभाग अथवा कोई रेल कार्यालय अथवा कोई उपक्रम शामिल हैं, जैसी भी स्थिति हो। निम्नतम मूल्य उन प्रदायों के लिए लागू होगें जो कम दर पर ऐसी कमी या बिक्री या बिक्री करने की प्रस्थापना के लागू होने की तारीख के बाद किए जाए।

15.3 यदि किसी समय, ठेकेदार उक्त अवधि के दौरान बिक्री मूल्य को कम करता है, संविदा के अधीन प्रभार्य मूल्य से कम मूल्य पर क्रेता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग या किसी रेल कार्यालय अथवा किसी रेल उपक्रम सहित, जैसा भी मामला हो, किसी व्यक्ति/संस्था को इस प्रकार के भंडारण को बेचता है या बेचने का प्रस्ताव करता है तो वह क्रेता की ऐसी कटौती बिक्री के प्रस्ताव को तुरंत अधिसूचित करेगा और ऐसी कमी या बिक्री के प्रस्ताव के लागू होने की तारीख के बाद सप्लाई किए गए भंडार के लिए संविदा के अधीन संदेय मूल्य तदनुरूप कम हुए माने जाएंगे।

15.4 ठेकेदार दर संविदा के लिए की गई सप्लाई के संदाय के प्रत्येक बिल के साथ संबंधित वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को निम्नलिखित प्रमाणपत्र भेजेगा :—

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते है कि इस संविदा के अधीन सरकार को सप्लाई किये गये भंडारों के समरूप विवरण वाले भंडार के बिक्री मूल्य में कोई कमी नहीं की गयी है और संविदा के अधीन सरकार से प्रभारित मूल्य से कम मूल्य पर संविदा के जारी रहने के दौरान दिये गये सभी सप्लाई आदेशों के लिए आपूर्ति की समाप्ति की तारीख/बिल की तारीख तक क्रेता अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग अथवा किसी रेल कार्यालय अथवा किसी रेल उपक्रम सहित, जैसे भी स्थिति हो, मेरे/हमारे द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था को इस प्रकार का भंडार न तो दिया गया है/न बेचा गया है।

महत्वपूर्ण

दिनांक 01.03.2003 से इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रासंफर कानूनन आवश्यक हो गया है। दिनांक 01.03.2003 से सभी भुगतान केवल इएफटी के मार्फत होगें। यदि पहले से कार्यान्वित न हो तो फर्म अपने प्रस्ताव के साथ आदेश फार्म रखेगें। आदेश फार्म के बिना क्रय आदेश जारी नही किये जाऐगें।

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेल्वे बोर्ड)

भारतीय रेल संविदा की मानक शर्त

(भण्डार विभाग के लिए भारतीय रेल संहिता का पैरा 417 देखिए)

0100. परिभाषाएं और निर्वचन।

0101. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, संविदा में।

0102. "निविदा की स्वीकृति" से वह ज्ञापन पत्र अभिप्रेत है जिसके द्वारा ठेकेदार को यह संसचित किया गया है कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गयी है और इसके अंतर्गत उसकी निविदा की अग्रिम स्वीकृति भी है।

0103. "परेषिती से अभिप्रेत" है, जहां निविदा की स्वीकृति द्वारा यह अपेक्षित है कि समान रेल, सड़क, वायु मार्ग अथवा स्टीमर द्वारा भेजा जाए वहां निविदा की स्वीकृति में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जिसे गंतव्य पर उस सामान का परिदान किया जाना है, जहां निविदा की स्वीकृति द्वारा यह अपेक्षित है कि अंतरिम परेषिती के रूप में किसी व्यक्ति, के सामान को अन्य व्यक्ति को भेजे जाने के प्रयोजन से, परिदान किया जा वहां ऐसा अन्य व्यक्ति, और अन्य किसी दशा में, वह व्यक्ति जिसे निविदा की स्वीकृति द्वारा, उसमें उल्लिखित रीति से समान का परिदान किया जाना अपेक्षित है।

0104. "संविदा" से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है निविदा के लिए आमंत्रण, निविदाकारों को अनुदेश, निविदा की स्वीकृति, संविदा की मानक शर्ते, संविदा की विशेष शर्ते निविदा की स्वीकृति में उल्लिखित विशिष्टियाँ और अन्य शर्ते तथा उसके अंतर्गत पुनरादेश जिसे ठेकेदार ने स्वीकार कर लिया है या जिसके अनुसार उसने कार्य किया है, और यदि प्ररूपिक करार निष्पादित किया गया है तो वह भी है।

0105. "ठेकेदार" से वह व्यक्ति, फर्म या कम्पनी अभिप्रेत है जिसे परिदान का आदेश दिया गया है और यह समझा जाएगा कि जब तक कि संविदा के निबंधनों द्वारा अपवर्जित न हो, इसके अंतर्गत, यथास्थिति, ठेकेदार के उत्तरवर्ती (जिनका क्रेता ने अनुमोदन कर दिया हो), प्रतिनिधि, वारिस, निष्पादक और प्रशासक भी है।

0106. "उपठेकेदार" से वह व्यक्ति, फर्म या कम्पनी अभिप्रेत है जिसके ठेकेदार समान के प्रदाय या विनिर्माण में उपयोग के लिए कोई सामग्री या फिटिंग प्राप्त करें।

0107. "रेखाचित्र" से अनुसूचि या विनिर्देशों में उल्लिखित या उनसे संलग्न रेखाचित्र अभिप्रेत हैं।

0108. "सरकार" से यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है।

0109. "निरीक्षक अधिकारी" से संविदा के अधीन सामान या कार्य के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए संविदा में उल्लिखित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है।

0110. समग्री से सामान के विनिर्माण या गढ़ने में प्रयुक्त कोई चीज अभिप्रेत है।

0111. "विशिष्टियो" के अंतर्गत निम्नलिखित है, अर्थात् :–

क) विनिर्देश।

ख) रेखाचित्र

ग) प्रतिमान जिस पर निरीक्षक अधिकारी की मोहर और उसके हस्ताक्षर हों (जिसे इसमें आगे "मोहरबंद प्रतिमान" कहा गया है)। इसके अंतर्गत निरीक्षक अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए क्रेता द्वारा उसकी मोहरबंद प्रमाणित प्रति भी है।

घ) निरीक्षक अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए क्रेता द्वारा उसकी मोहरबंद नमूना (जिसे इसमें आगे प्रमाणित नमूना कहा गया है)। जिसके अंतर्गत निरीक्षक अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए क्रेता द्वारा उसकी मोहरबंद प्रमाणित प्रति भी है।

ड़) व्यापार प्रतिमान अर्थात् ऐसा प्रतिमान जिसके अनुरूप सामान खुले बाजार में प्राप्त है और जो भारतीय मानक संस्था या अन्य मानकीकरण प्राधिकरण के मानक अथवा उद्योग के साधारण मानक का द्योतक है।

च) साम्पत्तिक चिन्ह या छाप से ऐसे उत्पाद या चिन्ह या छाप अभिप्रेत है जिसका स्वामित्व किसी औद्योगिक फर्म के पास है।

छ) सामान के निर्माण, विनिर्माण या प्रदाय को शासित करने वाले अन्य व्यौरे जो संविदा द्वारा विहित किए जाए।

0112. "क्रय अधिकारी" से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो निविदा की स्वीकृति पर हस्ताक्षर करता है और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे क्रेता की ओर से सुसंगत संविदा निष्पादित करने का प्राधिकार प्राप्त है।

0113. "क्रेता" से, भारतीय सरकार की रेलों के लिए आदिष्ट सामरन की दशा में, भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं।

0114. "हस्ताक्षरित" के अंतर्गत निविदा की स्वीकृति या उसके किसी संशोंधन की दशा में छोड़कर, स्थापित भी है।

0115. "स्थल" से संविदा में उल्लिखित वह स्थान, जहां संविदा के अधीन ठेकेदार द्वारा किसी काम का किया जाना अपेक्षित है, या क्रेता द्वारा उस प्रयोजन के लिए अनुमोदित कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है।

0116. "सामान" से संविदा में उल्लिखित यह माल अभिप्रेत है जिसको संविदा के अधीन प्रदाय करने के लिए ठेकेदार ने करार किया है।

0117. "प्रदाय आदेश" से सामान के प्रदाय का आदेश अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सेवा करने का आदेश भी है।

0118. "परीक्षण" से ऐसा परीक्षण अभिप्रेत है जो विशिष्टियों द्वारा विहित है या जो निरीक्षक अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा गया है चाहे वह निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षक अधिकारी के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी अभिकरण द्वारा किया जाए।

0119. "इकाई" और "परिमाण" से संविदा में विनिर्दिष्ट इकाई और परिमाण अभिप्रेत है।

0121. समान का परिदान तब हुआ समझा जाएगा जब क्रेता द्वारा अनुमोदन के पश्चात् सामान का, संविदा के निबंधनों के अनुसार परिदान –

क) परेषिती को उसके परिसर पर, या

ख) जहां ऐसा उपबंध है वहां अंतिरिम परेषिती को उसके परिसर पर, या

ग) किसी वाहन या अन्य व्यक्ति को, जो संविदा में, परेषिती को प्रेषण के प्रयोजन के लिए नामित है, कर दिया जाता है।

घ) गंतव्य स्टेशन पर परेषिती यदि गंतव्य स्टेशन पर भण्डार के परिदान के लिए संविदा में विनिर्दिष्ट किया गया है।

0122. एकवचन शब्दों के अंतर्गत बहुवचन शब्द और बहुवचन शब्दों के अंतर्गत एकवचन शब्द भी हैं।

0123. पुल्लिंग द्योतक शब्दों के अंतर्गत स्त्रीलिंग तथा व्यक्ति द्योतक शब्द के अंतर्गत कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, भी हैं।

0124 इन शर्तों की शीर्षक निर्वचन अथवा संरचना को प्रभावित नहीं करेंगे ।

0125. इन शर्तों और पदों के, जो इसमें परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, भारतीय माल विक्रय अधिनियम, 1930 (यथासंशोधित) या भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (यथासंशोधित) या साधारण खंड अधिनियम, 1897 (यथासंशोधित) में है।

0200. "पक्षकार" संविदा के पक्षकार ठेकेदार और क्रेता है जिनकी परिभाषा खंड 0105 और 0113 में दी हुई है।

0201. **ठेकेदार की ओर से संविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का प्राधिकार** – यह समझा जाएगा कि जो व्यक्ति ठेकेदार की ओर से निविदा पर या संविदा के बारे में किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है किन्तु ऐसा करने के अपने प्राधिकार को प्रकट नहीं करता है, वह यह विश्वास दिलाता है कि उसे ठेकेदार को आबद्ध करने का प्राधिकार है। यदि किसी समय यह पता चलता है कि इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है तो क्रेता अपने क्रेता के किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा को रद्द कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को जोखिम और खर्च पर सामान का क्रय कर सकेगा या उसका क्रय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा तथा संविदा के रद्द किये जाने से उत्पन्न होने वाले सभी खर्चों और नुकसानी के लिए जिसके अंतर्गत ऐसी हानि भी है जो क्रेता को ऐसे क्रय के कारण हो, ऐसे व्यक्ति को क्रेता के प्रति दायी ठहरा सकेगा। खंड 0700 के उपबंध ऐसे प्रत्येक क्रय जो वहां तक लागू होंगे जहां तक वे लागू हो सकते है।

0202. ठेकेदार का पता तथा क्रेता की ओर से सूचनाएं और संसूचनाएं :

क) संविदा के सभी प्रयोजनों के लिए जिसके अंतर्गत उसके अधीन माध्यस्थम भी है, ठेकेदार का निविदा में उल्लिखित पता, वह पता होगा जिस पर ठेकेदार को संबोधित सभी संसूचनाएं भेजी जाएंगी और जब तक कि ठेकेदार ने क्रेता को एक पृथक पत्र द्वारा, जिसमें कोई अन्य संसूचना न हो और जो रसीदी रजिस्ट्री डाक से भेजा गया हो, उसमें परिवर्तन की अधिसूचना न दे दी हो। पते में परिवर्तन की उपर्युक्त रीति में अधिसूचना देने में लोप के परिणाम के लिए एकमात्र ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

ख) संविदा के संबंध में क्रेता की ओर से कोई संसूचना या सूचना, क्रय अधिकारी द्वारा ठेकेदार को जारी की जा सकेगी तथा ठेकेदार पर ऐसी सभी संसूचनाओं और सूचनाओं की सूचनाओं और सूचनाओं की तामील ऐसे अधिकारी के विकल्प पर रजिस्ट्री डाक से या डाक प्रमाण–पत्र के अधीन या साधारण डाक से या दस्ती परिदान द्वारा की जा सकेगी।

0300. ठेकेदारों द्वारा दरों के कोटेशन :

क) ठेकदार द्वारा कोट की गई कीमत विधि द्वारा उस सामान के लिए नियत नियंत्रित कीमत से अधिक नहीं होगी अथवा जहां कोई नियंत्रित कीमत नियत नहीं है, वहां वह सरकार द्वारा नियत कीमत से अधिक नही होगी अथवा उसके सरकार द्वारा कीमत नियत करने के लिए निर्धारित किए गए प्रसामान्य (नॉर्म) का उल्लंघन होगा अथवा जहां सरकार द्वारा ऐसी कीमतें अथवा प्रसामान्य निर्धारित नहीं किए गये हों, वहां वह सरकार के परामर्श से किसी उद्योग द्वारा कीमत के विनिमयन के संबंध में किए गए किसी करार में दी गई कीमत से अधिक नहीं होगी। किसी भी प्रकरण में, निविदा में बताए गए विशेष कारणों को छोड़कर, कोट की गई कीमत ठेकेदार द्वारा उसी स्वरूप वर्ग या वर्णन के सामान के लिए देश के या विदेश के किसी प्राइवेट क्रेता सरकारों से प्रभारित न्यूनतम कीमत से अधिक नहीं होगी।

ख) यदि कोट की गई कीमत नियंत्रित कीमत से अथवा यहां कोई नियंत्रित कीमत नहीं है वहां ठेकेदार द्वारा उसी स्वरूप वर्ग या वर्णन के सामान के लिये देश के या विदेश के प्राइवेट क्रेता से तथा क्रेता सरकार से प्रभारित कीमत से अधिक है तो ठेकेदार उच्चतर कीमत (कीमतों) का कारण बताते हुए अपनी निविदा में इस तथ्य का उल्लेख विनिर्दिष्ट रूप से करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है या कोई मिथ्या कथन करता है तो क्रेता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह (I) किसी भी प्रक्रम पर कीमत में इस प्रकार संशोधन कर दे कि वह उक्त उप खंड (क) के अनुरूप हो जाए या (II) संविदा को समाप्त कर दे और प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत कर ले।

0400. **संविदा।**

0401. यह संविदा उसमें विनिर्दिष्ट तारीख यचा तारीखों को, इसमें दिये गये वर्णन, विनिर्देश और रेखाचित्र के अनुरूप और परिमाण में सामान प्रदाय के लिऐ संविदा है। जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, सामान निरीक्षक अधिकारी को समाधानप्रद रूप से पूरी तौर से नया तथा सर्वोत्तम क्वालिटी और कारीगरी का होना चाहिए इसके अतिरिक्त, सामान हर प्रकार से निरीक्षक अधिकारी को स्वीकार्य होना चाहिये।

0402. संविदा में कोई परिवर्तन या संशोधन क्रेता पर तब तक बाध्यकार नहीं होगा जब तक कि वह संविदा पर सम्यक रूप से पृष्ठांकित नहीं कर दिया जाता है या किसी प्ररूपिक लिखित में या पत्रों के आदान–प्रदान में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता है और उस पर पक्षकार हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं।

0500. **प्रतिभूति निक्षेप।**

0501. जब तक कि क्रेता और ठेकेदार के बीच अन्यथा करार न हुआ हो, ठेकेदार, निविदा की स्वीकृति की लिखित सूचना के उसके (ठेकेदार को), डाक से भेज दिए जाने के पश्चात् 14 (चौदह) दिन के भीतर संबंधित रेल के पास उस सामान के जिसका विवरण संविदा में दिया हुआ है और जिस के लिए निविदा स्वीकार की गई है, कुल मूल्य के पांच (5) प्रतिशत के बराबर रकम (नकद या सरकारी प्रतिभूतियों में समतुल्य रकम के रूप में या अनुमोदित बैंककर के प्रत्याभूति बध पत्र के रूप में) संविदा की सम्यक रूप से पूर्ति के लिए प्रतिभूति के रूप में निक्षिप्त करेगा। इस प्रतिभूति की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रूपये मूल्य के संविदाओं के लिए रूपये 10 लाख रूपये और 10 करोड़ से ज्यादा मूल्य के संविदा के लिए 20 लाख रूपये होगी।

संरक्षा मदे :– विज्ञापित निविदाओं और वैश्विक निविदाओं के विरूद्ध रखी गई सभी संरक्षा मदों के लिए निम्नलिखित छूट सहित सभी संविदाओं हेतु सभी फर्मों से प्रतिभूति निक्षेप (एसडी) कार्य निष्पादन गारंटी ली जायेगी।

क) निविदा दाताओं को आदेशित मदों के लिए उनके पंजीयन की मौद्रिक सीमा तक एन एस आई सी के साथ पंजीकृत वेंडरों के लिए इस आधार पर परित्याग चाहने वालों को उनके द्वारा अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

संरक्षा मदों के अलावा : विज्ञापित निविदाओं और वैश्विक निविदाओं के विरूद्ध संरक्षा मदों को छोड़कर अन्य मदों के लिए निम्नलिखित छूट सहित संविदाओं के लिए सभी फर्मों से प्रतिभूति निक्षेप (एस डी) ली जायेगी :–

क) आदेशित मदों के लिए उनके पंजीयन को मौद्रिक सीमा तक एन एस आई सी सहित पंजीकृत वेंडर्स।
ख) आर डी एस ओ/पी यू एस/सी ओ आर ई/रेल्वे इत्यादि के अनुमोदित सूची के वेंडरों अथवा आदेशित मदों के लिए ट्रेड ग्रुपों/आदेशित मदों के लिए उनके पंजीयन की मौद्रिक सीमा तक रेल्वे के साथ पंजीकृत वेंडरों को उनके विशिष्ट मदों के लिए जो उनके अनुमोदित सूची में है अथवा अन्य रेलवे, शासकीय विभागों को उनके विशेष अनुरोध पर तथा मामले की मैरिट के आधार पर निविदा समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

ग) निविदा दाताओं को जो इस आधार पर प्रतिभूति निक्षेप में परित्याग चाहने वालों को दास्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

तथापि गैर–पंजीकृत/गैर–अनुमोदित फर्मों अथवा कोई विशेष फर्म जो पंजीकृत/अनुमोदित नही है उन मदों के लिए रखी गई संविदाओं के मामले में सामान्यतः प्रतिभूति निक्षेप लिया जायेगा।
प्रतिभूति निक्षेप आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक बाध्यता के पूर्ण होने की तारीख से आगे कम से कम 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होना चाहिए।

0502. यदि ठेकेदार, क्रेता द्वारा प्रतिभूति दिए जाने की मांग किए जाने पर, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिभूति निक्षेप करने में और उसे बनाए रखने में असफल रहता है तो क्रेता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह .....

क) ठेकेदार से, संविदा के अथवा क्रेता या सरकार या क्रेता के द्वारा अन्यथा संविदा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ हुई किसी अन्य संविदा के अधीन ठेकेदार के लम्बित बिलों की रकम में से ऐसे प्रतिभूति निक्षेप की रकम काट कर उसे वसूल कर ले, या

ख) संविदा को या उनके किसी भाग को रद्द कर दे और ठेकेदार को जोखिम और खर्च पर सामान का क्रय करे या उसके क्रय को प्राधिकृत करे तथा उस दशा में खण्ड 0702 के उपबन्ध वहां तक लागू होगे जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

0503. नकद निक्षेप या सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के या उसके अवक्षयण के बारे में क्रेता के विरूद्ध कोई दावा नहीं होगा।

0504. क्रेता को यह हक होगा और उसके लिए यह विधिपूर्ण होगा कि यदि ठेकेदार प्रसंगाधीन संविदा या क्रेता के साथ किसी अन्य संविदा को या उसके किसी भाग को समाधानप्रद रूप में सभी प्रकार से पूरा करने में कोई व्यक्तिक्रम करता है, असफल रहता है या उपेक्षा करता है तो वह उक्त संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप या उसका भाग समपहृत कर लें। क्रेता को यह भी हक होगा कि वह उक्त निक्षेप में से उस हानि या नुकसान की कटौती कर ले जो किसी कार्य या अन्य व्यक्तिक्रम के कारण क्रेता को उठाना पड़े और जो क्रेता द्वारा ठेकेदार से प्रसंगाधीन संविदा या किसी अन्य संविदा के संबंध में वसूल किया जा सकता हो। उक्त दानों ही दशाओं में क्रेता को यह हक होगा कि वह ठेकेदार से यह मांग करें कि वह अतिरिक्त निक्षेप करके उक्त प्रतिभूति निक्षेप को उसकी मूल सीमा पर बनाए रखे। क्रेता को यह भी हक होगा कि वह ऐसे दावे की वसूली ऐसी राशि में से कर ले जो ठेकेदार को इस संविदा के या क्रेता के साथ किसी अन्य संविदा के अधीन उस समय देय है, या उसके बाद किसी समय देय हो जाये।

0600. **परिदान।**

0601. ठेकेदार, क्रेता की अपेक्षानुसार सामान का यह परिमाण जिसका व्यौरा संविदा में दिया हुआ है, उस संविदा में बताए गए स्थानों पर या जो निःशुल्क या रेल पर्यन्त निशुल्क या लागत, बीमा, भाड़ा सहित परिदान करेगा तथा सामान संविदा में विनिर्दिष्ट तारीख तक परिदत्त किया जाएगा या भेजा जाएगा।

0602. इस बात के होते हुए भी कि सामान का परिवहन सरकार के आदेशों द्वारा या उनके अधीन नियंत्रित होता है, जब तक कि संविदा में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, क्रेता ठेकदार को परिवहन प्राप्त करने में या उसका प्रबंध करने में सहायता देने के लिए या उसकी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

0603. ठेकेदार के परिसर पर निरीक्षक द्वारा निरीक्षण और अनुमोदन के होते हुए भी क्रेता को समान में सम्पत्ति तब तक संक्रांत नही होगी जब तक कि सामान परेषिती को प्राप्त नहीं हो जाता है, वह उसका निरीक्षण नहीं कर लेता है और उसे स्वीकार नहीं कर लेता है।

0604. सामान का परिदान परेषिती को लिखित अनुज्ञा के बिना परेषिती के डिपो पर रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन नहीं किया जा सकेगा।

0700. **परिदान के लिए समय और उसकी तारीख, संविदा का मर्म –** यह समझा जाएगा कि सामान के परिदान के लिए, संविदा में विनिदिष्ट या बढ़ाया गया समय और तारीख संविदा का मर्म है, और परिदान इस विनिदिष्ट या बढ़ाई गई तारीख(तारीखों) तक अवश्य पूरा हो जाना चाहिये।

0701. **परिदानों का प्रगति** – ठेकेदार, निरीक्षण अधिकारी, प्रगति अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे क्रेता, संविदा के अधीन परिदानों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नामनिर्दिष्ट करें, उचित सुविधाएं देगा और अपने संकर्म और अभिलेखों तक उनको निर्वाध पहुंच होने देगा।

0702. **असफलता और समाप्ति** – यदि ठेकेदार सामान या उसकी किसी खेप का परिदान, संविदा में ऐसे परिदान के लिए नियत अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर करने में असफल रहता है या ऐसी अवधि के बीतने के पूर्व किसी भी समय संविदा का निराकरण कर देता है तो क्रेता अपने अन्य अधिकारों का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना –

क) तय पाई गई परिनिर्धात नुकसानी के रूप में न कि शास्ति के रूप में ऐसे सामान के, जिसको संविदा में परिदान के लिए नियत अवधि के भीतर या जहां परिदान उपर्युक्त अवधि के बीत जाने के पश्चात् स्वीकार किया जाता है वहां प्रत्येक ऐसे मास या मास के भाग के लिए, जिसके दौरान ऐसे सामान का परिदान बकाया हो बढ़ाई गई अवधि के भीतर परिदान करने में ठेकेदार असफल रहा है, कीमत के 2 (दो) प्रतिशत के बराबर रकम (जिसके अंतर्गत करों, शुल्कों और भाड़े आदि के तत्व भी हैं), ठेकेदार से वसूल कर सकेगा, या

ख) 1. संरक्षा मदों के लिए सभी आदेशों के लिए जोखिम क्रय शर्त को हटा दिया गया है, ऐसे सभी आदेशों/(आदेशित मदों के लिए उनके पंजीयन की मौद्रिक सीमा तक एन एस आई सी के साथ पंजीकृत वेंडरों के मामलों को छोड़कर) में लेवी के रूप में 10% प्रतिभूति निक्षेप जप्त कर ली जायेगी। ऐसी विफलता को रिकार्ड कर लिया जायेगा और आगामी मामलों में मैरिट पर रेलवे द्वारा विचार किया जायेगा।

2. संरक्षा मदों के अलावा अन्य सामग्रियों के लिए आदेशों के संबंध में जहॉ फर्मों से 10% सुरक्षा जमा लिया गया है, जोखिम क्रय शर्त हटा दिया गया है और ऐसे फर्मों द्वारा चूक होने के मामले में प्रतिभूति निक्षेण जप्त कर ली जायेगी।

3. उपर्युक्त (1) और (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, मूल फर्म/आपूर्तिकर्ता की लागत और बिना जोखिम के स्वतंत्र रूप से आपूर्ति न की गई मात्राओं की खरीद की जायेगी।

4. ऐसे फर्मो के प्रतिकूल कार्य निष्पादन को रिकार्ड किया जाएगा तथा अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी को सूचित किया जायेगा और मैरिट पर आगामी निविदा मामलों में भी इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

5. ऐसे मामले जो उपर्युक्त पैरा (1) और (2) के अंतर्गत नहीं आते हैं। नीचे दिये गये मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार उनके लिए जोखिम क्रय प्रावधान जारी रहेगा।

ग) संविदाकर की लागत और जोखिम पर क्रय अथवा आपूर्ति न की गई भंडार के अलावा इसी प्रकार के अन्य विवरणों के खरीद के लिए अधिकृत करने तथा खरीद करने हेतु (जहॉ क्रेता की राय में, जो अंतिम होगी, विशिष्टियों के बिल्कुल अनुरूप सामान तुरन्त प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वहॅा) क्रेता अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

तथापि यह क्रेता के विवके पर निर्भर करेगा कि वह उस फर्म/उन फर्मों से, जिन्हें चूक करने वाले फर्म के जोखिम तथा व्यय वाले संविदा में रखा गया है, से प्रतिभूति जमा वसूल करे या नहीं।

घ) जहां उक्त उप–खण्ड (ग) के अधीन कार्रवाई की जाती है वहां ठेकेदार ऐसी हानि के लिए दायी होगा जो क्रेता के उस कारण से हो परन्तु यह तब जब कि क्रय करने का कोई करार है तो ऐसा करार संविदा में ऐसे परिदान के लिए नियत अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर सामान का परिदान करने में असफल रहने की दशा में ऐसी असफलता की तारीख से छः मास के भीतर तथा परिदान की उपर्युक्त अवधि के बीतने के पूर्व संविदा के निराकरण की दशा में, संविदा के रद्द किए जाने की तारीख से छः माह के भीतर किया गया हो। ठेकेदार ऐसे क्रय पर कोई अभिलाभ पाने का हकदार नहीं होगा तथा ऐसे क्रय की रीति और उसका ढ़ग पूर्ण रूप से क्रेता के विवेकानुसार होगा ठेकेदार पर ऐसे क्रय की सूचना की तालीम करना क्रेता के लिए आवश्यक नहीं होगा।

नोट – ऐसे सामान के संबंध में जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध न हो, अथवा जिसे प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होती हो, उसके लिए

"जोखिम" खरीद की अवधि उपर्युक्त उपबंधित मास की अवधि के स्थान पर नौ मास की रहेगी।

0703. **रद्दकरण के परिणाम** – यदि निरीक्षण अधिकारी या गंतव्य पर अंतरिम परेषिती या परेषिती द्वारा भंडार अस्वीकृत कर दिये जाने पर ठेकेदार परिदान की नियत अवधि के भीतर संतोषप्रद सप्लाई करने में विफल रहता है, क्रेता निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र होगा।

I) ठेकेदार को रद्द किये गये भंडार को तुरन्त बदलना होगा लेकिन किसी भी स्थिति में इसकी अवधि इसे रद्द किए जाने की तारीख से 21 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये और ठेकेदार भंडार को बदले गए भंडार पर भाड़ा सहित यदि कोई हो, ऐसे बदलाव की सभी लागत वहन करेगा लेकिन इस कारण या किसी अन्य कारण वह किसी अतिरिक्त संदाय का हकदार नहीं होगा, या

II) ठेकेदार को सूचना दिये बिना उसके जोखिम और लागत पर तथा इस संविदा के अंतर्गत देय अगली किसी किश्त की सप्लाई के संबंध में (यदि क्रेता की राय में, जो अंतिम होगी, व्यौरे के ठीक अनुरूप भंडार तत्काल उपलब्ध न हो) ठेकेदार का दायित्व प्रभावित किये बिना खरीदेगा या खरीदने के लिए प्राधिकृत करेगा,या

III) ठेकेदार के जोखिम और लागत पर भंडार या इसी किस्म का भंडार (यदि क्रेता की राय में, जो अंतिम होगी, व्यौरे के ठीक अनुरूप भंडार तत्काल उपलब्ध न हो) खरीदेगा या खरीदने के लिए प्राधिकृत करेगा, उपर्युक्त उप खंण्ड (II) या इस उप खण्ड के अधीन कार्रवाई किये जाने की स्थिति में, यहां तक लागू हो, उपर्युक्त खण्ड 0702 के उप बंध लागू होंगे।

IV) जहां संविदा के अंतर्गत देय कीमत प्रेषण स्टेशन तक रेल पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर निर्धारित की जाती है, वहां ठेकेदार यदि परेषिती द्वारा गंतव्य पर भंडार अस्वीकृत कर दिया जाता है, इस प्रकार रद्द किये गए भंडार के संबंध में वसूलीय कीमत के प्रतिदाय सहित अपनी अन्य दायिताओं के अतिरिक्त भाड़ा और इस संबंध में क्रेता द्वारा उपगत सभी अन्य खर्चों की क्रेता प्रतिपूर्ति करेगा।

0800. परिदान के लिए समय बढ़ाया जाना – यदि उपर्युक्त असफलता किसी ऐसे कारण से हुई है जिसकी बाबत क्रेता यह स्वीकार करे कि वह समय बढ़ाए जाने का उचित आधार है तो क्रेता ऐसा अतिरिक्त समय दे सकेगा जो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए वह न्यायोचित समझता है और उसे (क्रेता को) उपर्युक्त हानि या नुकसान के लिए अपना संपूर्ण दावा या उसका ऐसा भाग जो वह उचित समझे, छोड़ना होगा। उपठेकेदार की ओर से, चाहे उसका नियोजन इसकी शर्त 1500 के अधीन मंजूर किया गया हो, हुई किसी असफलता या विलंब को समय बढ़ाये जाने के लिए या ठेकेदार को उपर्युक्त हानि या नुकसान के दायित्व से छूट देने का उचित आधार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

0900. रेखाचित्र, विनिर्देशों और प्रतिमानों की जांच – जब निविदाएं, रेखाचित्र या मोहर बंद प्रतिमान के अनुसार आमंत्रित की जाती है तब ऐसे रेखाचित्र, विनिर्देश या मोहरबंद प्रतिमान के अनुसार प्रदाय करने के लिए ठेकेदार की निविदाओं से यह समझा जाएगा कि वह सह स्वीकार करता है कि उसने उसके व्यौरों की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है और किसी भी परिस्थिति में उसके किसी ऐसे दावे पर विचार नहीं किया जाएगा जो उक्त रेखाचित्र, विनिर्देश, या मोहरबंद प्रतिमान की उसके द्वारा अपर्याप्त रूप से जांच करने से उत्पन्न हो।

1000. रेखाचित्र में भूलें।

ठेकेदार उन रेखाचित्रों या अन्य विशिष्टियों में, जो उसने दी है, किसी फर्क, त्रुटि या लोप के कारण निमार्ण कार्य के लिए परिवर्तनों का उत्तरदायी होगा और वह उसके लिए संदाय करेगा चाहे क्रेता ने ऐसे रेखाचित्रों या विशिष्टियों का अनुमोदन किया हो या नहीं, परन्तु ऐसा तब होगा जब ऐया फर्क, त्रुटि या लोप क्रेता की ओर से ठेकेदार की दी गई गलत जानकारी या विशिष्टियों के कारण न हो। यदि किसी रेखाचित्र या नक्शे में अंकित कोई विमाएं उन विमाओं से भिन्न हैं जो रेखाचित्र या नक्शे को नापने से प्राप्त हों जो रेखाचित्र या नक्शे में अंकित विमाएं सही मानी जाएगी।

1100. नमूने।

1101. अग्रिम नमूना – जहां संविदा के निबंधनों के अधीन किसी अग्रिम नमूने का अनुमोदन अपेक्षित है वहां ठेकेदार वह नमूना, निविदा की स्वीकृति में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निरीक्षक अधिकारी को निःशुल्क भेजेगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे चाहिए कि वह निविदा की स्वीकृति जारी करने वाले कार्यालय को विलम्ब के कारण बताते हुए समय बढ़ाए जाने के लिए तुरन्त आवेदन करें। यदि क्रेता का समाधान हो जाता है कि समय बढ़ाए जाने के लिए उचित आधार विद्यान है तो वह ऐसा अतिरिक्त समय दे सकता है जो वह निविदा की स्वीकृति में अनुबंधित परिदान अवधि में परिवर्तन सहित या उसके बिना और ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, उचित एमझता है (उसका विनिश्चय अंतिम होगा)। यदि ठेकेदार, निविदा की स्वीकृति से विनिर्दिष्ट तारीख तक या किसी अन्य ऐसी तारीख तक जिस तक ऊपर बताए गए रूप में समय बढ़ा दिया जाए, अग्रिम नमूने का परिदान करने में असफल रहता है अथवा यदि वह नमूना नामंजूर कर दिया जाता है तो, क्रेता को हक होगा कि वह संविदा को रद्द कर दे और यदि चाहे तो सामान का, ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर, क्रय कर ले या उसका क्रय प्राधिकृत कर दे और उस दशा में खण्ड 0700 के उपबंध वहां तक लागू होंगे जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

1102. जब तक संविदा में अन्यथा उपबंध न हों, परीक्षण के लिए उपेक्षित सभी नमूनों का निःशुल्क प्रदाय ठेकेदार करेगा। जहां वह नमूना जिसका निःशुल्क प्रदाय किया गया है, जाँच और परिक्षण के बाद नामंजूर कर दिया जाता है, वहां वह नमूना या जाँच और परीक्षण के बाद उस नमूने का बचा हुआ भाग ठेकेदार के अनुरोध और खर्च पर उसे, इस प्रकार नामंजूर किए जाने की तारीख के तीन मास के भीतर, सार्वजनिक टैरिफ पर स्वामी की जोखिम पर लौटा दिया जाएगा।

1103. चिन्हांकन भेजे गए नमूनों पर स्पष्ट लेबल लगा होना चाहिए जिस पर ठेकेदार का नाम, पता तथा निविदा की स्वीकृति का संख्यांक लिखा हो।

1104. यदि ठेकेदार कोई नमूना निविदा के साथ, उससे पूर्व या उसके पश्चात् भेजता है तो उस दशा को छोड़कर जब निविदा की स्वीकृति में विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लिखित हो कि प्रदाय का मान उससे शासित होगा, वह प्रदाय के मानक को शासित नहीं करेगा।

1106. निरीक्षक प्राधिकारी या निरीक्षक अधिकारी द्वारा नमूने की नामंजूरी अंतिम और ठेकेदार पर एक आबद्धकर होगी।

1107. जहां संविदा में किसी अग्रिम नमूने के अनुमोदित किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है वहां यदि ठेकेदार चाहे तो वह सामान का बड़ी मात्रा में विनिर्माण आरंभ करने या उस सामान का परिदान करने के पूर्व सामान का एक नमूना निरीक्षक अधिकारी को निरीक्षण के लिए भेजेगा और उस दशा में जब तक निरीक्षक अधिकारी द्वारा अन्यथा प्राधिकृत न किया गया हो, प्रदाय किए जाने वाले कुल परिमाण का एक (1) प्रतिशत से अन्यून परिमाण भेजा जाएगा। किन्तु ठेकेदार केवल उस विलम्ब के आधार पर जो ऐसे किसी नमूने के अनुमोदन में हुआ हो, न तो कोई अनुग्रह दिखाए जाने या अतिरिक्त समय दिए जाने का हकदार होगा और न वह दावा कर सकेगा कि किस नियत अवधि के भीतर परिदान पूरा करने से मुक्ति दी जाए।

1108. यदि संविदा के अधीन, प्रदाय मोहरबंद प्रतिमान द्वारा शासित है तो ठेकेदार यथास्थिति, नमूना तैयार करने या बड़ी मात्रा में सामान का विनिर्माण करने के पूर्व ऐसे प्रतिमान की परीक्षा करने के लिए आबद्ध होगा।

1109. **नमूनों का उधार दिया जाना** – यदि कोई प्रमाणित नमूना ठेकेदार को उधार दिया जाता है तो उस पर एक लेबल लगा होगा जिसमें अन्य बातों के साथ उक्त नमूने और वांछित सामान के बीच की वह विभिन्नता बताई गई हो जो निरीक्षक अधिकारी को ज्ञात हो। यदि ठेकेदार प्रमाणित नमूने और संविदा में उल्लिखित विनिर्देशों की विशिष्टियों के बीच कोई और विभिन्नता पाता है तो वह उस मामले को निरीक्षण अधिकारी को तुरन्त निर्देशित करेगा और ऐसे फर्क की सूचना क्रेय अधिकारी को भी देगा। ठेकेदार इस बारे में निरीक्षक अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकारक होगा।

1110. ठेकेदार प्रमाणित नमूने में उक्त लेबल अलग नहीं करेगा और यदि किसी कारण उक्त लेबल अलग हो जाता है तो ठेकेदार नमूना निरीक्षक अधिकारी को नया लेबल लगाने के तुरन्त लौटा देगा।

1200. सरकार या क्रेता की संपत्ति को हानि या नुकसानी की जोखिम।

1201. प्रत्येक विशिष्ट संविदा की बाबत पृथक रूप से तय किए जाने वाले निबन्धनों और शर्तों पर ठेकेदार को सरकार या क्रेता की निक्षेप सहित या उसके बिना उधार दी गई सब संपत्ति यथास्थिति, सरकार या क्रेता की संपत्ति बनी रहेगी। ठेकेदार ऐसी संपत्ति का उपयोग संविदा के निष्पादन के लिए करेगा न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

1202. यह समझा जाएगी कि सब संपत्ति उस समय उच्छी दशा में थी जब ठेकेदार ने उसे प्राप्त किया, जब तक कि उसने (ठेकेदार ने) उसकी प्राप्ति के चौबीस घंटे के भीतर क्रेय अधिकारी को इसके प्रतिकूल सूचित न कर दिया हो। यदि ठेकेदार ऐसी संपत्ति की दशा या क्वालिटी में किसी त्रुटि की सूचना को देने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगी कि उसने बाद में किसी प्रक्रम पर ऐसा करने या अधिकार खो दिया है।

1203. ठेकेदार ऐसी सब संपत्ति लौटा देगा और उसके पूरे मूल्य के लिए जो क्रेता द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिम्मेदार होगा और क्रेता का विनिश्चिय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा। ठेकेदार ऐसी संपत्ति को उस समय जब वह संपत्ति ठेकेदार के उसके सेवकों, कर्मकारों या अभिकर्ताओं के कब्जें या नियंत्रण में हैं, होने वाली हानि या नुकसान के लिये दायी होगा चाहे वह किसी भी कारण से हो।

1204. जहां ठेकेदार ने सरकार या क्रेता के अनुरोध पर ऐसी संपत्ति की हानि या अग्रिम के विरूद्ध बीमा कराया है वहां समझा जाएगी कि वह बीमा अतिरिक्त पूर्वावधानों के रूप में कराया गया है और उसका ठेकेदार के उक्त दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1300. निरीक्षक अधिकारी द्वारा निरीक्षण।

1301. **क)** जब विनिर्माण के दौरान या परिदान या भेजे जाने से पूर्व निरीक्षण अपेक्षित है तब ठेकेदार निरीक्षक अधिकारी की लिखित सूचना उस समय भेजेगा जब वह सामान या सामग्री, जिसका प्रदान किया जाना है निरीक्षण और परीक्षण के लिए तैयार हो तथा कोई भी सामान तब तक परीदत्त नहीं किया जायेगा या भेजा नहीं जायेगा जब तक निरीक्षक अधिकारी ने लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर दिया हो कि उसने ऐसे सामान का निरीक्षण कर लिया है और उसका अनुमोदन कर दिया है।

ख) ऐसे मामलों में जहां क्रेता की ओर से निरीक्षण प्राधिकारी यह चाहता है कि प्रयुक्त की जाने वाली कच्ची सामग्री का निरीक्षण और/या पुर्जो/भंडार आदि का विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान निर्माण स्थल पर भी निरीक्षण किया जाना है तो ठेकेदार द्वारा कच्ची सामग्री की जांच करने और/या पुर्जो/भंडार आदि का विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान आवश्यक निरीक्षण करने, जैसा आवश्यक समझा जाये, के लिए निरीक्षण अधिकारी को अपने परिसरों/निर्माण स्थलों में आने के लिए लिखित रूप में सूचना भेजी जायेगी।

1302. **समान का चिन्हांकन** – यदि अपेक्षित हो तो ठेकेदार सभी अनुमोदित सामान पर अपने खर्च पर सरकार या क्रेता का मान्यता प्राप्त चिन्ह अंकित करेगा यदि निरीक्षक अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाती है तो ऐसा सामान जिस पर इस प्रकार चिन्ह अंकित नही किया जा सकता है, समुचित पैकजों या पेटियों में उसी के खर्चे पर पैक किया जाएगा और ऐसी प्रत्येक पैकेज या पेटी मोहरबंद की जायेगी और उस पर ऐसा चिन्ह अंकित किया जाएगा।,

निरीक्षण अधिकारी को नामंजूर किए गए सामान पर नामंजूरी का चिन्ह अंकित करने की भी शक्ति होगी जिससे कि यदि वे निरीक्षण के लिए पुनः प्रस्तुत किए जाए तो उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

1303. परीक्षण और जांच के लिए सुविधाएं – ठेकेदार, निरीक्षक अधिकारी को अपना यह समाधान करने के लिए कि सामान का विनिर्माण विशिष्टियों के अनुसार किया जा रहा है या किया गया है, सभी आवश्यक और उचित सुविधाएं अपने खर्च पर प्रदान करेगा। संविदा के निष्पादन के दौरान निरीक्षण अधिकारी ठेकेदार के कार्य तक उक्त प्रयोजन के लिए पूर्ण और अबाध रूप से आ–जा सकेगा तथा वह ठेकेदार से उसके परिवार पर या निरीक्षक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर सामान या उसके किसी भाग या किसी सामग्री के निरीक्षण के लिए प्रबन्ध करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि ठेकेदार को उप–ठेकेदार की सेवाएं नियोजित करने की अनुज्ञा दी गई है तो वह (ठेकेदार) उप–ठेकेदार के साथ अपनी संविदा में निरीक्षक अधिकारी के लिए इसी प्रकार का अधिकार आरक्षित रखेगा।

1304. परीक्षण का खर्च – ठेकेदार ऐसी सभी सामग्री, औजारों, श्रम और हर प्रकार की सहायता की व्यवस्था किसी अतिरिक्त प्रभार के बिना करेगा जिसकी मांग निरीक्षक अधिकारी विशेष या स्वतंत्र परीक्षण से भिन्न ऐसे किसी परीक्षण या जांच के लिए उससे करे जिसको ठेकेदार के परिसर पर किए जाने की वह अपेक्षा करेगा और उस पर होने वाला सब खर्च ठेकेदार वहन करेगा और उसका संदाय करेगा। यदि ठेकेदार उक्त शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निरीक्षण अधिकारी को अपने एकमात्र निर्णय के अनुसार ठेकेदार द्वारा विनिर्मित सभी या किसी सामान को परीक्षण और जांच के लिये हटाकर ठेकेदार परिसर के से भिन्न किसी परिसर को ले जाने का हक होगा और ऐसे सभी मामलों में ठेकेदार परिवहन और अन्यत्र ऐसे परीक्षण करने का खर्च वहन करेगा। निरीक्षण अधिकारी का इस आशय का लिखित प्रमाण–पत्र कि ठेकेदार परीक्षण और जांच की सुविधाएं और साधनों की व्यवस्था करने में असफल रहा है, अंतिम होगा।

1305. सामान के परीक्षण के लिए परिदान – ठेकेदार अपने परिसर से भिन्न ऐसे स्थान पर जो निरीक्षण अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, ऐसी सामग्री या सामान जिसकी वह (निरीक्षण अधिकारी) अपेक्षा करे, परीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध करेगा और उसका परिदान करेगा।

1306. विशेष या स्वतंत्र परीक्षण के खर्च का दायित्व – यदि सामान के उस नमूने के, जो प्रयोगशाला या परीक्षण के अन्य स्थानों को ले जाया गया है, परीक्षण पर या जाए जाने के परिणामस्वरूप कि वह संविदा के अनुरूप है वह सामान या उसका कोई भाग नामंजूर कर दिया जाता है अथवा यदि ठेकेदार परीक्षण के पास किए सामान का नियत अवधि के भीतर परिदान करने में किसी कारण से असफल रहता है, तो ठेकेदार ख मांग किए जाने पर निरीक्षण और/या परीक्षण में हुए सब खर्च का संदाय क्रेता को करेगा। परीक्षण के खर्च का निर्धारण प्रयोगशाला द्वारा प्राइवेट व्यक्ति से उसी प्रकार के कार्य के लिए प्रभारित दर से किया जाएगा।

1307. परीक्षण का ढ़ग – निरीक्षण अधिकारी को सभी सामान या उसकी भागरूप सामग्री या उसके किसी भाग का ऐसा परीक्षण करने का अधिकार होगा जो वह ठीक और उचित समझे। ठेकेदार को निरीक्षण अधिकारी द्वारा अपनाएं गए परीक्षण के ढ़ग पर किसी भी आधार पर आपत्ति करने का हक नहीं होगा।

1308. परीक्षण में व्यय हुआ सामान – जब तक कि संविदा में अन्यथा उपबंधित नहीं है, यदि परीक्षण संतोषप्रद सिद्ध होता है तथा सामान या उसकी कोई किश्त स्वीकार कर ली जाती है तो वह समझा जाएगा कि परीक्षण में व्यय हुए सामान या सामग्री का परिदान क्रेता ने ले लिया है और उस रूप में उसके लिए संदाय किया जाएगा।

1309. निरीक्षण अधिकारी की शक्तियॉं –निरीक्षण अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियॉं होगी अर्थात्....

i) किसी सामान या उसके भाग के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने के पूर्व उसको यह प्रमाणित करने की शक्ति होगी कि विनिमणि का कोई असंतोषप्रद ढ़ग अपनाने के कारण वह संविदा के अनुसार नहीं हो सकता है।

ii) प्रस्तुत किए गए किसी सामान को इस कारण कि वह विशिष्टयों के अनुसार नहीं है अस्वीकृत करने की शक्ति होगी।

iii) निरीक्षण के लिए निविदत्त पूरी किस्त को उस दशा में अस्वीकृत करने की शक्ति होगी यदि उसके ऐसे भाग का जो वह अपने विवेकानुसार ठीक समझे निरीक्षण करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि वह संतोषप्रद नहीं है।

iv) अस्वीकृति के संबंध में निरीक्षण अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

1400. संविदा पूरी करने के लिए, आवश्यक कार्य के लिए प्रभार – ठेकेदार उठाई–धराई, स्टाम्प लगाने, रेगाई, चिन्हांकन, पेटेन्ट अधिकारों के संरक्षण या परिक्षण, रेखाचित्रों टेम्पलेट, प्रतिमानों और गेजों के लिए भी सभी प्रभारों का संदाय करेगा। वह ऐसे सभी उपायों के लिए भी प्रभारों का संदाय करेगा जो क्रेता या निरीक्षण अधिकारी संविदा को उचित रूप से पूरी करने के लिए आवश्यक समझे, यद्धपि उसके लिए विशेष उपबंध विनिर्देशों या रेखाचित्रों में न किया जाए।

1501. सामान में जोखिम – ठेकेदार संविदा का सभी प्रकार से पालन संरविदा के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार करेगा। सामान और उसके प्रत्येक संघटक अंग, चाहे वह ठेकेदार के, उसके अभिकर्ता या सेवक के या किसी वाहक के कब्जे या नियंत्रण में हो या ठेकेदार, उसके अभिकर्ताओं या सेवक और क्रेता, उसके अभिकर्ताओं या सेवकों के संयुक्त कब्जे में हो, सभी दृष्टि से तब तक ठेकेदार को जोखिम पर रहेगा जब तक कि परेषिती को उसका वास्तविक परिदान नियम स्थान या गंतव्य पर नहीं कर दिया जाता है अथवा यहां निविदा की स्वीकृति में ऐसा उपबंध हो वहां जब तक कि उसका परिदान ऐसे व्यक्ति को नहीं कर दिया जाता है जो संविदा में परेषितों को भेजे जाने के प्रयोजन के लिए अंतरिम परेषिती के रूप में विनिर्दिष्ट है ठेकेदार सामान के उस समय जब निरीक्षण अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् उसे भेजा जाना है या उसका परिदान किया जाता है या जब वह ठेकेदार से यथास्थिति परेषिती या अंतिरिम परेषिती को अभिवहन के अनुक्रम में है, होने वाली सभी हानि विनाश, नुकसान या क्षय के लिए जिम्मेदार होगा। केवल ठेकेदार, रेल प्रशासन या आय वाहक के विरूद्ध उस माल के जो ठेकेदार द्वारा ऐसे वाहक को यथास्थिति, परेषिती या अंतरिम परेषिती को भेजे जाने के लिए सौंपा गया है, अपरिदान, न्यूनपरिदान, गलत परिदान, हानि, विनाश, नुकसान, क्षय के लिए, दावा करने का हकदार होगा और उसके लिए जिम्मेदार होगा।

1502. परेषिती का अस्वीकार करने का अधिकार – ऐसे सामान या सामग्री या अन्य विशिष्टियों या कार्य या कारीगरी के बारे में, जिसका संबंध संविदा के पालन से है, निरीक्षण अधिकारी द्वारा किसी अनुमोदन के होते हुए भी (चाहे वह अनुमोदन ठेकेदार या निरीक्षण अधिकारी द्वारा अथवा निरीक्षण अधिकारी के निर्देशों के अधीन किए गए किसी परीक्षण के पश्चात् या उसके बिना किया गया हो) और जहां ऐसा उपबंध है, अंतरिम परेषिती को सामान का परिदान होने पर भी परेषिती के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह क्रेता की ओर से उस सामान को या जाने के पश्चात् उचित समय के भीतर उस दशा में अस्वीकृत कर दे जब कि ऐसा सामान या उसका भाग, प्रभाग या परेषण सभी प्रकार से संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुरूप न हो चाहे ऐसा परिदान भेजे जाने के पूर्व अभिवहन के दौरान या अन्यथा हुई किसी हानि क्षय या नुकसान के कारण हो।

टिप्पणीः फर्म के परिसरों पर पूर्व–निरीक्षित सामग्री के संबंध में परेषिती प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर रद्दकरण सूचना जारी करेंगे।

1503. परन्तु जहां संविदा के निबंधनों के अधीन यह अपेक्षित है कि सामान, परेषिती को भेजे जाने के प्रयोजन के लिए किसी अंतरिम परेषिती को परिदत्त किया जाए वहां वह सामान अंतरिम परेषिती को परिदत्त किए जाने के पश्चात् क्रेता की जोखिम पर होगा, किंतु फिर भी क्रेता की ओर से परेषिती के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस समय या उसके किसी भाग, प्रभाग या परेषण को, उसे गंतव्य स्थान पर उसके वास्तविक परिदान पर तब अस्वीकृत कर दे जब वह सभी प्रकार से संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुरूप न हो। किंतु ऐसा उस दशा में नहीं होगा जब कि वह अभिवहन के अनुक्रम में या अंतरिम परेषितों को परिदत्त किए जाने पश्चात् अन्यथा नुकसानग्रस्त या खराब हुआ हो।

1504. निरीक्षण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किए गए सामान को हटाने के संबंध में खंड 2200 में दिए हुए उपबंध परेषिती द्वारा अस्वीकृत किए गए सामान को उचित संशोधनों सहित लागू होंगे, जैसा इसमें उपबंध है।

टिप्पणीः विनिर्माण के दौरान या ठेकेदार के परिसर में परिदत्त किए जाने या परेषण से पहले निरीक्षण सामान के संबंध में परेषिती उसकी वास्वविक सुपुर्दगी की तारीख से 90 दिन के अन्दर अस्वीकृति–पत्र जारी करेगा।

1505. **उप–पट्टे पर देना और समनुदेशन –** ठेकेदार क्रेता की लिखित पूर्व सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भाग का या उसमें किसी हित का या उसके किसी अभिलाभ या फायदे का किसी भी रीति से उप–पट्टा, अन्तरण या समनुदेश नहीं करेगा। यदि ठेकेदार ऐसी अनुज्ञा के बिना इस संविदा या इसके किसी भाग का उप–पट्टा या समनुदेश करता है, तो क्रेता को यह हक होगा कि वह इस संविदा को रद्द कर दे और ठेकेदार के लेखे और उसकी जाखिम पर सामान का क्रय अन्यत्र कर ले तथा ठेकेदार ऐसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा जो क्रेता को ऐसे प्रयोजन के परिणामस्वरूप हो या उससे अन्पन्न हो।

1506. फर्म में परिवर्तन – क) जहां ठेकेदार एक भागीदारी फर्म है वहां उस फर्म में कोई नया भागीदार क्रेता की लिखित पूर्व सहमति के बिना, सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह सहमति नये भागीदार द्वारा इस आशय का लिखित वचनबंध निष्पादित करने पर ही दी जा सकेगी कि वह संविदा का पालन करेगा और ऐसे वचनबंध की तारीख से पूर्व संविदा के अधीन फर्म द्वारा उपगत सभी दायित्वों को स्वीकार करेगा।

ख) ठेकेदार फर्म के किसी भागीदार को, संविदा के पूर्ण पालन से पूर्व मृत्यु या निवर्तन होने पर क्रेता अपने विकल्प पर, संविदा को रद्द कर सकेगा और ऐसी दशा में ठेकेदार क्रेता के विरूद्ध प्रतिकर का कोई दावा नहीं कर सकेगा।

ग) यदि संविदा उक्त उप–खण्ड (ख) उपबंधित रूप में समाप्त नहीं कर दी जाती है तो इस बात के होते हुए भी कि फर्म का कोई भागीदार निवृत हो गया है, वह भागीदार फर्म का कोई भागीदार निवृत हो गया है, वह भागीदार फर्म के कार्यों के लिए संविदा के अधीन तब तक जिम्मेदार बना रहेगा जब तक कि वह भागीदार अधिनियम की धारा 32 के अधीन अपने द्वारा दी गई सार्वजनिक सूचना के प्रति क्रेता को रजिस्ट्री रसीदी डाक से भेज नहीं देता है।

घ) भंग करने का परिणामः यदि ठेकेदार फर्म का कोई भागीदार उक्त उपखंड 111505 को भंग करता है या ठेकेदार इस उप खंड की शर्त 1506 (क) को भंग करता है तो क्रेता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह संविदा को रद्द कर दे तथा ठेकेदार की जोखिम और उसके खर्च पर सामान का क्रय कर ले या उसका क्रय प्राधिकृत कर दे और उस दिशा खंड 0600 तथा 0700 के उपबंध जहां तक वे लागू होते हैं, लागू होंगे।

ड़) इस उप खंड से संबंधित या इससे उत्पन्न होने वाले किसी विषय या बात के बारे में अथवा ऐसे किसी प्रश्न पर कि क्या ठेकेदार ने या ठेकेदार फर्म के किसी भागीदार ने इस उपखंड की कोई उपखंड की कोई शर्त भंग की है, क्रेता का विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकारक होगा।

1507. ठेकेदार की सहायता–

क) ठेकेदार संविदा को पूरा करने के लिए अपेक्षित सामग्री समाप्त करने अथवा कोई आयात या अन्य अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा तथा क्रेता या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लोहे और इस्पात या किसी अन्य वस्तु के वितरण या अर्जन के लिये किसी विधि के अधीन अपेक्षित कोटा प्रमाण–पत्र अनुज्ञा–पत्र के दिए जाने का या उपर्युक्त सामग्री को उपाप्त करने में अन्य प्रकार की किसी सहायता के दिए जाने का या उपयुक्त विषय में सहायता करने के किसी प्रयास का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह क्रेता की ओर से यह व्यापदेश है ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा–पत्र या कोटा प्रमाण–पत्र के अंतर्गत आने वाली सामग्री उपलब्ध है और वह उस सामग्री को उपाप्त करने के संबंध में क्रेता की ओर से कोई वचन या आश्वासन नहीं होगा और न उससे संविदा के अधीन पक्षकारों के अधिकारों और दायित्व में कोई परिवर्तन होगा। किन्तु यदि ऐसी किसी सहायता से, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, ठेकेदार कोई सामग्री उसकी बाजार कीमत से कम कीमत पर प्राप्त करता है अथवा सामान के उत्पादन का खर्च कम हो जाता है तो संविदा के अधीन संदेय सामान की कीमत में उसी अनुपात में कमी की जाएगी और क्रेता इस बात का अवधारण करेगा कि यह कमी कितनी होगी। क्रेता का विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

ख) क्रेता द्वारा सरकारी स्टाक से अथवा सरकार द्वारा या विधि द्वारा उस निमित्त शक्ति प्राप्त किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए या उसकी ओर से दिए गए या उसके प्राधिकार से दिए गए किसी अनुज्ञा–पत्र या निर्मोचन आदेश के अधीन क्रय द्वारा अथवा क्रेता द्वारा दी गई अन्य व्यवस्था के अधीन सामग्री के प्रदाय या उसको उपाप्त करने में सहायता देने के प्रत्येक प्रयास की बाबत यह समझा जाएगा कि वह इस शर्त के अधीन है कि वह अन्य मांगों पर उचित ध्यान देते हुए और केवल तभी पूरा किया जाएगा कि वह इस शर्त के अधीन है कि वह अन्य मांगों पर उचित ध्यान देते हुए और केवल तभी पूरा किया जाएगा जब नियत समय के भीतर ऐसा करना संभव पाया जाए तथा इस बारे में कि उपर्युक्त प्रदाय करना या सहायता देना संभव है या नहीं, क्रेता का विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्ध होगा।

1600. सरकारी सहायता से प्राप्त किए कच्चे माल के उपयोग।

1601. क) जहां संविदा को निष्पादन के लिए कोई कच्ची सामग्री सरकार द्वारा अनुज्ञा–पत्र या अनुज्ञप्ति या कोटा प्रमाण–पत्र/अत्यावश्यकता प्रमाण–पत्र या निमोचन आदेश के रूप में, जो सरकार द्वारा या उस निमित्त शक्ति प्राप्त किसी अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से या उसके प्राधिकार के अधीन जारी किया गया हो, दी गई सहायता से उपाप्त की गई है,

ख) जहॉ कच्चा माल सरकारी स्टाक से ठेकेदार को दिया गया है, या
ग) जहां ठेकेदार को अग्रिम संदाय इस लिए किए गए हैं कि यह कच्चे माल का क्रय कर सके, या
घ) जहां कच्ची सामग्री की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, वहां ठेकेदारः–

i) ऐसी सामग्री को सरकार के लिए न्यासी के रूप में धारण करेगा।
ii) ऐसी सामग्री का किफायत से और केवल संविदा के प्रयोजन के लिए उपयोग करेगा,
iii) उस सामग्री का क्रेता की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना व्ययन नहीं करेगा, और
iv) ऐसी सामग्री का सम्यक लेखा देगा और सभी अधिशेष या काम में न आ सकने वाली सामग्री जो संविदा के पूरा होने के पश्चात् या जो किसी कारण से संविदा के समाप्त होने पर बच रहे, सरकार को ऐसे स्थान पर जो क्रेता निर्दिष्ट करे लौटाएगा। ऐसी सामग्री लौटाने पर ठेकेदार उसके लिए ऐसी कीमत पाने का हकदार होगा कि दशा को देखते हुए क्रेता नियत करे।

1602. जहां संविदा ठेकेदार की ओर से कोई व्यक्तिक्रम होने के कारण समाप्त कर दी जाती है वहां ठेकेदार कोई सामग्री ऐसे गंतव्य स्थान तक जो क्रेता द्वारा तय किया जाए, लौटाने पर हुए सभी परिवहन प्रभार का संदाय करेगा और इस संबंध में क्रेता का विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकारक होगा।

1603. यदि ठेकेदार इस खंड में विनिर्दिष्ट किसी शर्त को भंग करता है तो वह किसी दाण्डिक या अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे सब धन फायदों या लाभ का लेखा सरकार को देने के लिए जिम्मेदार होगा जो ऐसे भंग से हुए हों या प्रयिक अनुक्रम में हुए होते।

1604. जहां ठेकेदार द्वारा ऐसी सामग्री से विनिर्मित या गढ़ा हुआ सामान जिसकी व्यवस्था सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई है या जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से उपाप्त की गई है, अस्वीकार कर दिया जाता है वहां ठेकेदार सरकार के किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मांग की जाने पर सरकार को ऐसी सब सामग्री की लागत कीमत या बाजार मूल्य, उनमें से जो भी अधिक हो, देगा।

1700. **क्षतिपूर्ति।**

1701. ठेकेदार क्रेता के ऐसे सभी दावों के लिए जो सामान की बाबत पेटेंट, डिजाईन के रजिस्ट्रीकरण या व्यापार चिन्ह द्वारा संरक्षित किसी अधिकार के उल्लंघन के लिए हों, सदैव क्षतिपूर्ति करेगा। परंतु यदि लेटर्स पैटेंट, रजिस्ट्रीकृत डिजाइनों या व्यापार चिन्ह के अभिकथित भंग की बाबत कोई दावा क्रेता के विरूद्ध किया जाता है तो क्रेता उसकी सूचना ठेकेदार को देगा ओर ठेकेदार अपने खर्च पर या तो ऐसे विवाद को तय करेगा या ऐसे किसी मुकदमे का संचालन करेगा जो उनसे उत्पन्न हो।

1702. ठेकेदार ऐसे पैटेंटों या डिजाइनों की बाबत या उनका उपयोग करने के लिए किसी स्वामित्व, अनुज्ञप्ति फीस आ अन्य व्यय का संदाय करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जिनकी बाबत वह संविदा के निबंधनों के अनुसार पेटेंट या व्यापार चिन्ह का संविदा की पूर्ति के लिए उपयोग करने के प्रयोजन के लिए सरकार का अभिकर्ता माना जाएगा।

1800. पैकिंग।

1801. ठेकेदार सामान को अपने खर्च पर, रेल मार्ग या वायु मार्ग और या समुद्र मार्ग द्वारा अभिवहन के लिए पर्याप्त रूप से और उचित रूप से इस प्रकार पैक करेगा जैसा कि संविदा में उपबंध है। जिससे कि वह सुनिश्चित हो सके कि जब सामान अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा, वह हानि या नुकसान से मुक्त होगा।

1802. जब तक कि संविदा में अन्यथा उपबंध न हो, ऐसे सभी आधान की बाबत (जिनके अंतर्गत पैकिंग केस, डिब्बे, टिन, ड्रम और आवेष्टन भी है) जिनमें ठेकेदार द्वारा सामान का प्रदाय किया जाता है, यह माना जाएगा कि वे लौटाए नहीं जाने है और उनकी कीमत संविदा में सम्मिलित कर ली गई है।

1803. यदि संविदा में यह उपबंध है कि आधान "लौटाए जाएंगे" तो उन पर लौटाए जाने है अंकित किया जाएगा और वे संविदा के निर्वहनों के अनुसार ठेकेदार को लौटाए जाएंगे।

1804. यदि संविदा में यह उपबंध है कि लौटाए जाने वाले आधानों के लिए अलग से प्रभार लिया जाएगा तो ठेकेदार उनके लिए निविदा की स्वीकृति में विनिर्दिष्ट कीमत पर बीजक तैयार करेगा। ऐसी दशाओं में ठेकेदार बीजक में सम्मिलित रकम के लिए तब पूरा प्रत्यय देगा जब कि आधान ठेकेदार को लौटा दिया जाता है। आधान उचित समय के भीतर लौटाए जाएंगे और यदि इस बारे में कि आधान लौटाए गए थे या नहीं, कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो उस पर क्रेता का विनिश्चिय अंतिम और आबद्धकारक होगा तथा क्रेता अपने विवेकानुसार ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णित कर सकेगा जो उसकी राय में आधानों को लौटाने मे किसी असम्यक विलम्ब के लिये उचित हो।

1805. संविदा के अधीन परिदत्त प्रत्येक गांठ या पैकेज पर ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर विहन लगाया जाएगा। ऐसे चिन्ह स्पष्ट होंगे (पहले के असंगत चिन्हो को ध्यानपूर्वक मिटा दिया जाएगा) और वे ऐसे होंगे कि उनसे सामान का वर्णन और परिमाण, परेषिती का नाम और पता, पैकेज का सफल भार और ठेकेदार का नाम, ऐसे सुभिन्न संख्यांक या चिन्ह से स्पष्ट रूप से दर्शित हो जो पहचान के प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो। सभी चिन्ह ऐसी सामग्री से लगाए जाएंगे जिन्हें जहां तक जल्दी सूखने, पक्के होने और मिट न सकने का संबंध है, निरीक्षण अधिकारी संतोषप्रद पाए।

1806. यदि सामान उपर्युक्त रूप में पैक नहीं किया गया है और या चिन्हीत नहीं किया गया है तो, और ऐसी दशा में जिसमें पैक करने की सामग्री अलग से विहित है, यदि ऐसी सामग्री संविदा के निबंधनों के अनुसार नहीं है तो निरीक्षक अधिकारी सामान को अस्वीकार कर सकेगा। निरीक्षण अधिकारी द्वारा सामान की ऐसी अस्वीकृति अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकारक होगी।

1807. प्रत्येक गाठ या पैकेज में एक पैकिंग टिप्पणी होगी जिसमें ठेकेदार का नाम और पता निविदा की स्वीकृति या प्रदाय आदेश का संख्यांक और प्रदाय आदेश जारी करने वाले क्रय अधिकारी का पदनाम, सामान का वर्णन और ऐसी गाठ या पैकेज में रखी मात्रा विनिर्दिष्ट हो।

1900. **परिदान की अधिसूचना**

प्रत्येक खेप के बाबत् परिदान या भेजने की अधिसूचना परेषिती को और इण्डेन्ट करने वाले व्यक्ति को उस समय तुरन्त दी जायेगी जब वह भेजी जाएगी या उसकी परिदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार, यथास्थिति, परेषिती या अन्तरिम परेषिती को एक पैकिंग लेखा देगा जिसमें निविदा की स्वीकृति का और या प्रदाय आदेश या पुनरादेश का संख्यांक और सामान भेजने की तारीख लिखी हो। पैकिंग लेखा में सभी पैकेजों, आधानों बंडलों और फुटकर सामग्री का जो प्रत्येक खेप का अंग हो पूरा वर्णन होगा। उसमें पैकेजों की अंतर्वस्तुओं और सामग्री के परिणाम का पूरा ब्यौरा भी देय होगा जिससे कि परेषिती का सामान के गंतव्य स्थान पर पहुँचने पर उसकी जाँच कर सके यदि कोई रेल रसीद प्रेषण टिप्पणी या वहन पत्र हो तो वह परेषिती का सामान भेजे जाने के तुरंत पश्चात् रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाएगा। यदि रेल रसीद, प्रेषण टिप्पणी या वहन पत्र को भेजने में ठेकेदार की ओर से विलंब होने के कारण कोई डेमरेज प्रभार देना पड़ा है तो ठेकेदार उसे वहन करेगा और क्रेता को उसकी प्रतिपूर्ति करेगा।

2000. **प्रगति रिपोर्ट।**

2001. ठेकेदार समय–समय पर संविदा की प्रगति और या सामान के प्रदाय के संबंध में ऐसी रिपोर्ट ऐसे प्रारूप में देगा जो क्रेता अपेक्षित हो।

2002. ऐसी रिपोर्टों के दिए जाने उनके प्राप्ति या उनके ग्रहण किए जाने से संविदा के अधीन क्रेता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह बात क्रेता के विरूद्ध केवल इस तथ्य के कारण निबन्ध नहीं होगी कि उसने (क्रेता ने) ऐसी रिपोर्ट में दी गयी किसी जानकारी पर ध्यान नहीं दिया है या उसका परीक्षण नहीं किया है।

2100. **मालभाड़ा।**

समान लोक टैरिफ दरों पर भेजा जाएगा। प्रेषण के स्थान तक रेल पर्यन्त निःशुल्क संविदा की दशा में सामान सब से अधिक किफायती मार्ग से या भेजने के समय उपलब्ध सबसे अधिक किफायती टैरिफ से बुक किया जाएगा। ऐसा करने में असफलता होने पर ठेकेदार क्रेता को हुए ऐसे व्यय के लिए दायी होगा जिनसे बचा जा सकता था। जहाँ वैकल्पिक मार्ग हो वहाँ यदि क्रेता से कहा जाए तो वह उपलब्ध सबसे किफायती मार्ग बताएगा या उस प्राधिकारी का नाम बाताएगा जिससे इस विषय में सलाह ली जाए और उसके अनुसार कार्य किया जाए। यदि ऐसे किसी प्राधिकारी की सलाह माँगी जाती है तो इस विषय में उसका विनिश्चय या उसकी सलाह अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगी।

2200. **अस्वीकृत सामान का हटाया जाना।**

2201. ऐसे सामान को जो ठेकेदार के परिसर से भिन्न किसी अन्य स्थान पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया है और अस्वीकृत कर दिया गया है, ठेकेदार इसमें आगे किए गये उपबंध के अधीन रहते हुए, ऐसी अस्वीकृति की सूचना जारी करने की तारीख से 21 दिन के भीतर हटा लेगा। यदि यह साबित हो जाता है कि ऐसी सूचना देने वाला पत्र उसे डाक द्वारा उस पते पर भेजा गया है जो क्रय आदेश/निविदा की स्वीकृति/संविदा में उल्लिखित है तो यह समझा जायेगा कि ठेकेदार पर उसकी तालीम उस समय कर दी गयी जब वह पत्र साधारण डाक के अनुक्रम में ठेकेदार तक पहुँचेगा। क्रेता या निरीक्षक का ठेकेदार से यह माँग करने का प्राधिकार प्राप्त है कि (ठेकेदार) उस सामान का जिसका क्रेता या निरीक्षक खतरनाक, अप्रभावी या विनश्वर सामान समझाता है, ऐसी सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर हटा ले।

2202. सभी परिस्थितयों में, ऐसा अस्वीकृत सामान अस्वीकृत किए जाने के क्षण से ठेकेदार की जोखिम पर पड़ा रहेगा और यदि ठेकेदार ऐसे सामान को ऊपर बताई गयी अवधि के भीतर नहीं हटाता हो तो निरीक्षक वह सामान या तो ठेकेदार की जोखिम में खर्चे पर ठेकेदार को ऐसे परिवहन द्वारा लौटा देगा जो क्रेता या निरीक्षक चुने या ऐसे सामान का ठेकेदार की जोखिम पर उसके लेखे व्ययन कर देगा और उससे प्राप्त रकम का उतना भाग अपने पास रख लेगा जो ऐसे व्ययन के संबंध में हुए व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो। क्रेता को ऊपर बताए गये मुफ्त समय के बीत जाने के बाद ऐसे अस्वीकृत सामान की बाबत भूमि किराया, डेमरेज प्रभार वसूल करने का हक होगा।

2203. ऐसे सामान को जो रेल द्वारा भेजा गया है और गंतव्य स्थान पर पहुँचने के बाद अस्वीकार कर दिया गया है, ठेकेदार या तो उस स्टेशन पर जहाँ वह अस्वीकार किया गया है या उस स्टेशन पर जहाँ से भेजा गया था, वापस ले सकता है। यदि संविदा, प्रेषण के स्टेशन पर रेल पर्यन्त निःशुल्क परिदान के लिए की गयी है तो ठेकेदार अस्वीकृत पर परेषण के स्टेशन से उस स्टेशन तक का, जहाँ सामान अस्वीकार किया गया है, लोक टैरिफ दर से वहन प्रभार का संदाय करेगा। यदि ठेकेदार माल को उस स्टेशन पर वापस लेना पसंद करता है जहाँ से वह भेजा गया था तो वह माल स्वामी की जोखिम पर उसे वापस बुक किया जाएगा और उसके लिए उसका (ठेकेदार को) लोक टैरिफ दर पर संदाय करना होगा। ठेकेदार अस्वीकृत सामान के इस प्रकार लौटाए जाने में हुए पैक करने के और आनुषंगिक खर्च तथा प्रभार की प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा। जब तक कि निरीक्षण के पश्चात क्रेता माल को स्वीकार नहीं कर लेता है, वह माल ठेकेदार की संपत्ति बना रहेगा।

2300. **संदाय की व्यवस्था ।**

2301. जब तक पक्षकारों के बीच अन्यथा करार न हुआ हो, सामान के परिदान के लिए संदाय विहित प्रारूप के बिल दिये जाने पर किया जाएगा। यह प्रारूप क्रेता अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। संदाय, निविदा की स्वीकृति में दिए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कामकाज करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की उस शाखा पर जो क्रेता द्वारा तय की जाए लिखे गये चैक या माँग देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

2302. ऐसी संविदाओं में जिनमें ठेकेदार को ऐसी सुविधा देने के लिए क्रेता विनिर्दिष्ट रूप से सहमत हो गया है, ठेकेदार को सामान के लिए और उसके प्रत्येक परेषण के लिए संदाय अपेक्षित दस्तावेज सहित बिलों के दिए जाने पर, निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा अर्थात् :–

(क) फर्मों को सामान या उसके प्रत्येक परेषण के लिए 95 प्रतिशत संदाय इस बात का सबूत दिए जाने पर किया जाएगा कि उसका निरीक्षण हो गया है और वह भेज दिया गया है। मूल रेल रसीद संदाय करने के लिए जिम्मेदार लेखा अधिकारी 95 प्रतिशत के बिल के साथ जिसमें परेषिती को माल भेजे जाने की विशिष्टियाँ दी हुई हों भेजी जानी चाहिए। लेखा अधिकारी को चाहिए कि वह 95 प्रतिशत का बिल पास करने के पश्चात मूल रेल रसीद, परेषिती को परेषण, का परिदान लेने के लिए भेज दें किन्तु यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि परेषिती का मूल रेल रसीद भेजने के काम में लेखा कार्यालय में कोई विलंब न हो।

(ख) शेष पाँच प्रतिशत का संदाय परेषिती को सामान या उसके प्रत्येक परेषण से संविदा के निबन्धनों के अनुसार अच्छी हालत में प्राप्त होने पर और परेषिती द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पण की प्रति पर उस आशय का प्रमाण–पत्र पृष्ठांकित किए जाने पर किया जाएगा। यह निरीक्षण टिप्पण ठेकेदार द्वारा भेजे गए बिल के साथ आना चाहिए।

(ग) लागत, भाड़ा संविदा की दशा में 95 प्रतिशत कीमत का संदाय नौपरिवहन दस्तावेजों और निरीक्षण प्रमाण–पत्र के पेश किए जाने पर भारत में किया जाएगा शेष पाँच प्रतिशत का संदाय परेषिती द्वारा, संविदा के निबधनों के अनुसार अच्छी हालत में सब सामान की प्राप्ति पर और ऐसी प्राप्ति का प्रमाण–पत्र परेषिती द्वारा निरीक्षण टिप्पण की एक प्रति पर पृष्ठांकित करके उसके पेश किए जाने पर किया जाएगा अथवा ठेकेदार के विकल्प पर सामान के पूरे मूल्य का संदाय निरीक्षण के बाद, संविदा के निबंधनों के अनुसार, अच्छी हालत में परेषण की प्राप्ति पर और ऐसी प्राप्ति का, निरीक्षण टिप्पण की एक प्रति पर पृष्ठांकित प्रमाण–पत्र पेश किए जाने पर किया जायेगा।

2303. अन्य सभी संविदाओं में या ऐसे संविदाओं मे ंजिनमें निरीक्षण अधिकारी भी अंतरिम परेषिती के रूप में कार्य करता है या जिनमें परेषिती स्वयं गंतव्य स्थान पर निरीक्षण करता है, तथा स्थानीय परिदान के सभी मामलों में पूरा संदाय अंतिम शत प्रतिशत बिल जिसके समर्थन निरीक्षण प्रमाण–पत्र और परेषिती की प्राप्ति, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, हो संबंधित लेखा अधिकारी को दिए जाने पर किया जायेगा।

टिप्पणी–

(1) 95 प्रतिशत और 5 प्रतिशत संदाय की व्यवस्था 1000 रूपये या उससे कम रकम के दावों को लागू नहीं होती है ऐसे मामलों में पूरे मूल्य का केवल एक ही बिल दिया जाना चाहिए।

(2) चालू संविदाओं के मामले में, संदाय की पद्धति उपर्युक्त के अनुसार होगी सिवाय ऊपर विनिर्दिष्ट 95 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के बजाय संदाय 98 प्रतिशत और 2 प्रतिशत होगा।

2400. दावा की गई राशियों को रोक रखा जाना और उनकी बाबत धारणाधिकार।

2401. जब कभी ठेकेदार के विरूद्ध किसी धनराशि के संदाय का कोई दावा या दावे, संविदा से या उसके अधीन उत्पन्न होते है तब क्रेता को यह हक होगा कि वह ऐसी सम्पूर्ण राशि या राशियाँ अथवा उनका भाग ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति (यदि कोई हो) में से रोक ले और उसे उस राशि या उन राशियों की प्रतिधारित करने का धारणाधिकार भी होगा। उक्त प्रयोजन के लिए क्रेता को यह हक होगा कि वह, यथास्थिति, उक्त नगद प्रतिभूति निक्षेप या प्रतिभूति को, यदि कोई हो, रोक ले और जब तक ऐसे दावे को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है या उसका न्यायनिर्णयन नहीं हो जाता है तब तक उस पर उसका धारणाधिकार भी होगा। यदि प्रतिभूति, दावाकृत रकम या रकमों की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है या यदि ठेकेदार से कोई प्रतिभूति नहीं ली गई है तो क्रेता को यह हक होगा कि वह ऐसे किसी दावे को अंतिम रूप दिए जाने या उसका न्यायनिर्णय न होने तक उस राशि या उन राशियों में से उस संविदा के अधीन या क्रेता अथवा सरकार के साथ अन्य किसी संविदा के अधीन ठेकेदार को देय हो/या तत्पश्चात किसी समय देय हो जाए। उतनी रकम या रकमें जिनके लिए दावा किया गया है और जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, रोक ले और उसे उसकी प्रतिधारित करने का धारणाधिकार भी होगा।

संविदा का यह तय पाया गया निबंधन है कि इस प्रकार रोक रखी गई ऊपर उल्लिखित धारणाधिकार के अधीन प्रतिधारित धनराशि या धनराशियाँ क्रेता द्वारा तक रोक रखी या प्रतिधारित की जाएगी जब तक कि संकवद से या उसके अधीन उत्पन्न होने वाले दावे का अवधारण यथास्थिति (यदि संविदा माध्यमस्थ खण्ड द्वारा शासित है तो) मध्यस्थ द्वारा या इसमें आगे उपबंधित खंड 2703 के अधीन विहित सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं हो जाता है, तथा इस प्रकार रोक रखने या ऊपर उल्लिखित और ठेकेदार को सम्यक रूप से अधिसूचित धारणाधिकार के अधीन प्रतिधारण की बाबत ब्याज के लिए या किसी भी कारण से किसी नुकसानी का लिए ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा।

2402. खण्ड 2401 के प्रयोजन के लिए, जहाँ ठेकेदार कोई भागीदारी फार्म या लिमिटेड कंपनी है वहाँ क्रेता को यह हक होगा कि वह ऐसी किसी राशि में से जो यथास्थिति, किसी भागीदार/लिमिटेड कंपनी को, उसकी वैयक्तिक हैसियत में या किसी अन्य रूप में संदेय हो, दावा की गयी संपूर्ण रकम या रकमें अथवा उसके भाग को रोक लें और उसे उसको प्रतिधारित करने का धारणाधिकार भी होगा।

2403. **अन्य संविदाओं में दावों की बाबत धारणाधिकार –**

क) संविदा के अधीन ठेकेदार को शोध्य और देय कोई धनराशि (जिसके अंतर्गत उसको लौटाया जाने वाला प्रतिभूति निक्षेप भी है) ठेकेदार द्वारा क्रेता या सरकार के साथ की गयी किसी अन्य संविदा के या उसके अधीन उत्पन्न होने वाली धनराशि के संदाय की बाबत क्रेता या सरकार के किसी दावे के मुद्दे क्रेता या सरकार द्वारा रोक रखी जा सकेगी या धारणाधिकार के रूप में प्रतिधारित की जा सकेगी।

ख) संविदा का यह तय पाया हुआ निबंधन है कि खण्ड के अधीन क्रेता सरकार द्वारा इस प्रकार रोक रखी गई या प्रतिधारित धनराशि क्रेता या सरकार द्वारा तब तक रोक रखी या प्रतिधारित की जाएगी जब तक उसी संविदा या किसी अन्य संविदा से उत्पन्न होने वाला उसका दावा परस्पर तय नहीं हो जाता है या उसका अवधारण, यथास्थिति, यदि संविदा माध्यस्थम् खंड द्वारा शासित हो तो माध्यस्थ द्वारा अथवा इसमें आगे अपबंधित खंड 2703 के अधीन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं कर दिया जाता है तथा इस खंड के अधीन रोक रखी गयी या प्रतिधारित किसी धनराशि के बाबत इस कारण या किसी अन्य आधार पर किसी ब्याज या नुकसानी के लिए, जिसकी सम्यक् अधिसूचना ठेकेदार को दे दी गई हो, ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा।

2500. **भ्रष्ट आचरण ।**

2501. ठेकेदार किसी ऐसे व्यक्ति को जो क्रेता के नियोजन में है या क्रेता के आदेश के अधीन कार्य कर रहा है, कोई उपहार या किसी प्रकार का प्रतिफल, इस संविदा को अथवा क्रेता या सरकार के साथ किसी अन्य संविदा को प्राप्त करने या उसके निष्पादन के संबंध में कोई कार्य करने या उससे प्रविरत रहने के लिए उत्प्रेरणा के रूप में अथवा इसलिये उसने ऐसा कार्य किया है या उससे प्रविरत रहा है, अथवा इस संविदा अथवा क्रेता या सरकार के साथ किसी अन्या संविदा के संबंध में किसी व्यक्ति के प्रति अनुग्रह करने या उसके विरूद्ध अनुग्रह दर्शित करने के प्रविरत रहने के लिए इनाम के रूप में न तो प्रस्थापित करेगा, न देगा और न देने के लिए सहमत होगा। यदि ठेकेदार या उसके द्वारा नियोजित या (ठेकेदार की जानकारी में या उसकी जानकारी के बिना) उसके निमित्त कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उपर्युक्त शर्त को भंग करता है या यदि ठेकेदार या उसके द्वारा नियोजित या उसके निमित्त कार्य करने वाला कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 9, के अधिन या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 या लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के निवारण के लिए अधिनियमित किसी अन्य अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है तो क्रेता को यह संविदा और ठेकेदार के साथ हुई सभी संविदाओं या किसी अन्य संविदा को रद्द करने का और ठेकेदार से उस हानि की रकम वसूल करने का हक होगा जो खंड 0600 और 0700 के उपबंधों के अनुसार ऐसे रद्द किये जाने से हो।

2502. उक्त शर्त के निर्वचन, प्रभाव या लागू होने के संबंध में अथवा उसके अधीन क्रेता द्वारा ठेकेदार से वसूल की जाने वाली रकम के संबंध में विवाद या मतभेद का विनिश्चिय क्रेता द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चिय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।–

2600. दिवाला और संविदा भंग।

2601. क्रेता किसी भी समय, निम्नलिखित दशाओं में से किसी में ठेकेदार को कोई प्रतिकार दिए बिना, लिखित सूचना द्वारा संविदा को संक्षिप्तः समाप्त कर सकेगा, अर्थात्

क) यदि ठेकेदार कोई व्यष्टि है और वह अथवा यदि वह फर्म है तो यदि उसका कोई भागीदार किसी भी समय दिवालिया न्याय निर्णित किया जाता है या उसके विरूद्ध रिसीवर की नियुक्ति का आदेश या उसकी संपदा के प्रशासन के लिए आदेश किया जाता है या वह तत्समय प्रवृत्त किसी दिवाला अधिनियम के अधीन प्रशासन के लिए कोई कार्यवाही करता है या अपनी चीज वस्तु का हस्तांतरण या समनुदेशन करता है या अपने लेनेदारों के साथ कोई समनुदेशन या प्रशासन करता है या संदाय निलम्बित करता है या यदि भागीदारी अधिनियम के अधीन फर्म विघटित कर दी जाती है, या

ख) यदि ठेकेदार कंपनी है और वह स्वेच्छा या किसी न्यायाालय के आदेश द्वारा परिसमाप्त की दी जाती है अथवा यदि रिसीवर, परिसमापक या डिबेंचर धराकों की ओर से प्रबन्धक नियुक्त किया जाता है या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जिन से न्यायालय या डिबेंचर धारकों को रिसीवर परिसमापक या प्रबंधक नियुक्त करने का हक प्राप्त होता है, या

ग) यदि ठेकेदार संविदा का कोई ऐसा भंग करता है जिसके लिए इसमें विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है कि परंतु ऐसे सामाप्त किए जाने से अनुयोजन या उपचार के किसी ऐसे अधिकार पर जो क्रेता को प्रोद्भूत हो, प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु यह और कि ठेकेदार, क्रेता को ऐसे अतिरिक्त व्यय का संदाय करने का जिम्मेदार होगा जो इस कारण उसको करना पड़ा है तथा किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार को पुर्नक्रय पर कोई अभिलाभ पाने का हक नहीं होगा।

2700. संविदा को लागू होने वाली विधियाँ।

2701. इस संविदा को भारत की तत्सम प्रवृत विधियाँ लागू होगी।

2702. संविदा के अधीन परिदान का स्थान, संविदा का पालन का स्थान चाहे कोई भी हो यह समझा जाएगा कि संविदा उस स्थान पर की गई है जहाँ से निविदा की स्वीकृति जारी की गई है।

2703. न्यायालयों का अधिकारिता – जिस स्थान से निविदा की स्वीकृति जारी की गई है उस स्थान के ही न्यायालयों को इस संविदा से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद का विनिश्चिय करने की अधिकारिता होगी।

2704. सामान का चिन्हांकन – सामान का चिन्हांकन भारत में तत्समय प्रवृत्त वाणिज्य चिन्ह से संबंधित विधियों की अपेक्षाओं के अनुसार होना चाहिए।

2705. ठेका श्रम (विनियम और उत्पाद) अधिनियम, 1970 के उपबंधों का अनुपालनः–

(1) ठेकेदार, जहाँ कहीं लागू हो, समय–समय पर यथा उपांतरित ठेका (विनिमय और उत्पादन)अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियम और उत्पाद) केंद्रीय नियम 1971 के उपबंधों का अनुपालन करेगा और उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन दावों के संबंध में क्रेता की क्षतिपूर्ति भी करेगा।

(2) ठेकेदार संविदा के प्रारंभ से पूर्व, समय–समय पर यथा उपांतरित उक्त अधिनियम के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा और जब तक संविदा का पूरी तौर से पालन नहीं किया जाता है तब तक विधिमान्य अनुज्ञप्ति अपने पास रखेगा। यदि वह इस अपेक्षा की पूर्ति नही करता है तो संविदा के निष्पादन फलस्वरूप उसको संविदा के शास्तिक उपबंध लागू होंगे।

(3) ठेकेदार अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उप ठेकेदार के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को मजदूरी जहाँ लागू हो, उक्त अधिनियम और नियमों को उपबंधों के अनुसार देगा। संविदा में तत्प्रतिकुल कोई उपबंध होते हुए भी ठेकेदार अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों को जिनके अंतर्गत उक्त संविदा के संबंध में उसके उप ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिक भी है, ऐसे दिलवाएगा मानों उन श्रमिकों को स्वयं उसने नियोजित किया हो।

(4) संविदा में ठेकेदार की ओर से दिए जाने वाले कार्य के निष्पादन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में ठेकेदार, जहॉ लागू हो, उक्त अधिनियम ओर नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा या कराएगा।

(5) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें उक्त अधिनियम या नियमों के उपबंधों के आधार पर क्रेता उस कर्मकार की जिसे ठेकेदार ने या ठेकेदार ने संविदा के निष्पादन में नियोजित किया है, मजदूरी की किसी रकम का संदाय करने के लिए या उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन जिन कल्याण और स्वास्थय संबंधी सुख–सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है उनकी व्यवस्था करने में व्यय करने के लिए या उक्त अधिनियम या नियम के अधीन अपनी कानूनी बाध्यताएँ पूरी करने में ठेकेदार की असफलता के कारण कोई व्यय करने के लिए बाध्य है, क्रेता, ठेकेदार से इस प्रकार की गई मजदूरी की रकम या इस प्रकार किए गए व्यय की रकम वसूल करेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) और धारा 21 की उपधारा

(4) के अधीन क्रेता के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना क्रेता ऐसी रकम या उसका भाग, प्रतिभूति निक्षेप में से और/या क्रेता द्वारा ठेकेदार को, चाहे संविदा के अधीन या अन्यथा देय किसी राशि में से उसकी कटौती करके वसूल कर सकेगा। क्रेता, ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर और ठेकेदार द्वारा, क्रेता को उस सब खर्च के लिए जिसके लिए क्रेता ऐसे दावे का प्रतिरोध करने में दायी हो सकता है, पूरी प्रतिभूति दिए जाने पर ही उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) और 21 की उपधारा (4) के अधीन उसके विरूद्ध किए गए किसी दावे का प्रतिरोध करने के लिए आबद्ध होगा, अन्यथा नहीं। ठेकेदार से वस्तुतः वसूल की जा सकने वाली रकम के जिसका उल्लेख किया गया है, संबंध में क्रेता का विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

2800. **शीर्षक।**
इसकी शर्तों के शीर्षकों का उन शर्तों के निर्वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2900. **माध्यस्थम।**

क) यदि संविदा की इन शर्तों या किन्हीं विशेष शर्तों के अधीन या इस संविदा के संबंध में (ऐसे विषयों के बारे में छोंड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इन शर्तों या विशेष रूप से उपबंध किया गया है) कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो वह क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा की गई संविदाओं का दशा में, महाप्रबंधक द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा की संविदाओं की दशा में, रेलवे बोर्ड के किसी सदस्य किसी अपर सदस्य द्वारा और रेल मंत्रालय के अधीन संगठनों द्वारा की गई संविदाओं के संबंध में संगठन के प्रधान द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के एकमात्र माध्यस्थम को निर्देशित किया जाएगा। किन्तु यदि मध्यस्थ रेल सेवक है तो वह ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे उन विषयों के बारे में कार्य करने का अवसर मिला है जिनके संबंध में संविदा है या जिसने रेल सेवक के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन के दौरान उन सभी या किन्हीं विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं जिनकी बाबत विवाद या मतभेद है, माध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और इस संविदा के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

ख) यदि मध्यस्थ की मृत्यु हो जाती है, वह कार्य करने में उपेक्षा करते है या उससे इंकार करता है या वह त्यागपत्र दे देता है या किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ है या उसका अधिनिर्णय किसी कारण से न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया जाता है तो मध्यस्थ नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह पदावरोही माध्यस्थ के स्थान पर कोई अन्य मध्यस्थ उक्त रीति से नियुक्त करे।

ग) इस संविदा का एक निबंधन या भी है कि उक्त प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारण से यह संभव न हो तो मामला मध्यस्थ के लिए निर्देशित किया ही नहीं जाएगा।

घ) मध्यस्थ संविदा के सभी पक्षकारों की सहमति से समय–समय पर अधिनिर्णय देने के समय को बढ़ा सकेगा।

ङ) ऐसे प्रत्येक निर्देश पर, निर्देश और अधिनियम के आनुषांगिक व्यय का निर्धारण मध्यस्थ के विवेकानुसार किया जाएगा।

च) ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, तत्सम प्रवृत्त माध्यस्थम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा उनके कानूनी उपांतर, इस खण्ड के अधीन माध्यस्थ कार्यवाही को लागू समझे जाएँगें।

छ) माध्यस्थम का स्थान वह होगा जहाँ से स्वीकृति टिप्पणी जारी किया गया है या ऐसा अन्य स्थान होगा जो मध्यस्थ अपने विवेकानुसार तय करे।

ज) इस खण्ड में मध्यस्थ नियुक्त करने के प्रधिकारी क अंतर्गत, यदि ऐसा कोई प्राधिकारी नहीं है तो, उस प्राधिकारी के कृत्यों का तत्सयम निर्वहन करने वाला अधिकारी भी है चाहे वह ऐसे कृत्यों को निर्वहन अन्य कृत्यों के अतिरिक्त या अन्यथा कर रहा हो।

3000. **गिरावट खण्ड** : निकाल दिया गया है।

3100. **निरीक्षण और रद्दीकरण** –
जहाँ संविदा के अंतर्गत, प्रेषण स्टेशन से रेल पर्यन्त निःशुल्क आधार पर देय कीमत निर्धारित होती है वहाँ ठेकेदार, यदि परेषिती द्वारा गंतव्य पर भंडार अस्वीकार कर दिया जाता है, अपनी अन्य दायिताओं के अतिरिक्त क्रेता द्वारा प्रदत्त भाड़े की क्रेता को प्रतिपूर्ति करेगा।

3101. **निरीक्षण के परिणाम अधिसूचित करना** – जब तक अनूसूची की विशिष्टि में अन्यथा उपबन्धित न हो, भण्डार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जाने के बाद तुरन्त उसकी जाँच का परिणाम ठेकेदार को अधिसूचित किया जायेगा।

3102. **निरीक्षण टिप्पणी** – निरीक्षण अधिकारी द्वारा भण्डार को स्वीकार्य पाये जाने पर वह ठेकेदार का विधिवत् पूर्ण करके निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जाने के बाद तुरन्त उसकी जाँच की जायेगी और जाँच का परिणाम ठेकेदार को अधिसूचित किया जायेगा।

3200. **वारण्टी / गारण्टी।**

3201. ठेकेदार / विक्रेता एतद्द्वारा प्रसंविदा करता है कि संविदा की यह शर्त है कि इस संविदा के अंतर्गत क्रेता को प्रस्तुत किया गया सभी माल / भंडार / सामान उच्च कोटी का होगा, सभी त्रुटियों और दोषों से मुक्त होगा और वह बेहतर सामग्री, गुणवत्ता, निर्माण और कारीगरी का होगा और आर्डर की गयी किस्म की सामग्री के लिए सुस्थापित और सामान्यतः स्वीकृत मानकों के अनुसार होगा तथा संविदा विशिष्टि, रेखाचित्र या नमूना, यदि कोई हो के पूर्ण अनुरूप होगा और यदि परिचालनीय हो तो समुचित रूप से परिचालन करेगा।

3202. ठेकेदार यह भी गारंटी देता है कि उक्त माल / भण्डार / सामान उनकी सुपुर्दगी के बाद 30 महीने या उपयोग करने की तारीख के 24 महीने की अवधि, जो भी शीघ्र हो, के लिए तथा उपर्युक्त व्यौरे और गुणवत्ता के अनुरूप ही रहेगा और वारण्टी इस तथ्य के बावजूद भी बनी रहेगी कि माल / भण्डार / सामान का निरीक्षण कर लिया गया है और क्रेता द्वारा उसे स्वीकार कर लिया है तथा उसका भुगतान कर दिया गया है।

3203. यदि उपर्युक्त अवधि के दौरान यह पाया जाता है कि टूट–फूट से भिन्न अन्यथा उक्त माल / भण्डार / सामान उपर्युक्त व्यौरे और गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है तो उस स्थिति में क्रेता का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा और क्रेता को उक्त माल / भण्डार / सामान या उसके ऐसे किसी भाग को, जिसे उक्त व्यौरे और गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाता है, रद्द करने का हक होगा। इस प्रकार से रद्द करने पर, माल / भण्डार / सामान विक्रेता के जोखिम पर होगा। यदि ठेकेदार / विक्रेता चाहे तो वह या उसका प्रतिनिधि रद्द किये माल को ऐसे रद्दकरण की तारीख से 3 महीने की अवधि के अन्दर ऐसे तरीके से निपटान के लिए अपने अधिकार में ले सकता है जैसा वह उचित समझे। अवधि समाप्त होने पर, उक्त माल / भण्डार / सामान के संबंध में क्रेता के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जायेगा जिसका क्रेता द्वारा ऐसे तरीके से निपटान कर दिया गया है जैसे वह उचित समझता था पूर्वोक्त की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, "भण्डार के रद्दकरण" और "विफलता तथा पर्यवसान" से संबंधित संविदा की भारतीय रेल मानक शर्तों उपबन्ध तथा उपर्युक्त खण्ड 13 लागू होगा।

3204. ठेकेदार विक्रेता, यदि अपेक्षित हो, माल या उसके ऐसे भाग को, जिसको क्रेता द्वारा रद्द किया गया है, अंतिम गंतव्य पर या क्रेता के विकल्प पर निःशुल्क बदलेगा। ठेकेदार विक्रेता संविदा कीमत पर उसका मूल्य और ऐसे अन्य खर्चों और नुकसान का क्रेता को भुगतान करेगा जो इसमें पहले विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होते है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो इस संविदा के अंतर्गत इस संबंध में या अन्यथा क्रेता के अधिकार पर प्रतिकुल प्रभाव डाले।

3300. **वहीं जाँच खंड–सरकार "वहीं जाँच" के लिए निम्न प्रकार से अधिकार सुरक्षित रखती हैः–**

(i) इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी सरकारी अधिकारी द्वारा लागत या बही खाता, वाउचर, रसीद, पत्र, ज्ञापन, या ऐसे दस्तावेज से उद्धरण तथा ऐसे संव्यवहार से किसी प्रकार संबंधित सूचना प्रस्तुत करने या करवाने के लिए ठेकेदार को जब भी कहा जाये तो सम्यक रूप से प्राधिकृत सरकारी अधिकारी के समक्ष इस तरह से सत्यापित विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो इस संविदा के निष्पादन के संबंध में अपेक्षित हों या इस संविदा के निष्पादन की लागत को सत्यापित करने या उसका पता लगाने के लिए संगत हों। किसी दस्तावेज, विवरणी की सूचना की सुसंगति के प्रश्न पर ऐसे सरकारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम तथा पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

इस खंड द्वारा आधिरोपित दायिता किसी कानून, नियम या आदेश के अधिन ठेकेदार की दायिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है और यह ठेकेदार पर आबद्धकारी होगी।

(ii) ठेकेदार, यदि प्राधिकृत सरकारी अधिकारी चाहे (चाहे कीमतें अंतिम रूप से निर्धारित करने से पूर्व या बाद में) निमार्ण की प्रक्रिया की जाँच करने और सामान के उत्पादन की लागत की जाँच करने या पता लगाने के प्रयोजन के लिए ठेकेदार के संकर्म का दौरा करने के लिए संबंधित सरकारी अधिकारी को सुविधाएँ प्रदान करेगा। यदि कार्य का कोई भाग उप–ठेकेदार या उसकी किसी सहायक या संबंध फर्म या कंपनी को सौपा जाता है या उसके द्वारा किया जाता है तो प्राधिकृत सरकारी अधिकारी को ऐसे उप–ठेकेदार या उसकी किसी सहायक या संबंध फर्म या कंपनी की संगत बहियों की जाँच करने की शक्ति होगी और उसके निरीक्षण के लिए खुली रखी जायेगी जैसे कि खंड (1) में उल्लेख किया गया है।

(iii) यदि ऐसे जाँच करने पर यह प्रमाणित होता है कि संविदाकृत मूल्य वास्तविक लागत जमा उचित मात्रा या लाभ से अधिक है तो क्रेता को मूल्य कम करने या उचित स्तर तक राशि निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(iv) जहाँ संविदा में बहीं जाँच खंड की व्यवस्था है, वहाँ ठेकेदार या उसकी एजेंसी इस बात के लिए आबद्धकर है कि दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदार या उसकी एजेंसी द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर अपनी बहियों की जाँच करने की अनुमति दें जैसा कि उपर्युक्त खंड (1) में व्यवस्था है। यदि ठेकेदार या उसकी एजेंसी ऐसा करने में विफल रहती है तो क्रेता के निर्णय के अनुसार संविदा कीमत कम और निर्धारित कर दी जायेगी जो अंतिम होगी तथा ठेकेदार और उसके एजेंट के लिए आबद्धकारी होगी।

3400. **परिदान अवधि के अंतिम चरण पर निरीक्षण** – ऐसे मामलों में, अवधि के अंतिम चरण पर आर्डर किये गये भंडार का केवल एक भाग निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है और मामलों में भी, जहाँ परिदान अवधि के दौरान निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये गये भण्डार के भाग के संबंध में निरीक्षण पूरा नहीं होता है, क्रेता यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि संविदा में निर्धारित परिदान अवधि के अंदर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न की गयी शेष मात्रा को ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर उसके साथ आगे पत्र व्यवहार किये बिना रद्द कर दे। यदि परिदान अवधि के दौरान या उसके अंतिम चरण में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया भंडार निरीक्षण करने के बाद स्वीकार्य नहीं पाया जाता है तो क्रेता ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर उसके संबंध में संविदा रद्द करने का हकदार है। लेकिन, यदि निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया भंडार स्वीकार कर लिया जाता है। तो क्रेता निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन परिदान अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दे सकता हैः–

क) क्रेता को संविदा की भारतीय रेल मानक शर्तों के खंड 0702 (क) के उपबंधों के अंतर्गत ठेकेदार से उस भंडार के संबंध में परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने का अधिकार है जिसे ठेकेदार परिदान के लिए निर्धारित अवधि के भीतर परिदान करने में विफल रहता है।

ख) कि सीमा शुल्क, उत्पादन–शुल्क, बिक्री कर में सांविधिक वृद्धि या इन्हें नये सिरे से लगाने के कारण या संविदा में विनिर्दिष्ट भंडार के संबंध में उद्‌गृहीत किसी अन्य कर या शुल्क के कारण मूल्य मे वृद्धि, जो संविदा के अनुबंधित परिदान अवधि की तारीख के बाद होती है, ऐसे उक्त भंडार पर स्वीकार्य नहीं होगी जिसका परिदान संविदा में अनुबंधित परिदान की तारीख के बाद किया जाता है।

ग) किसी भी अन्य कारण से मूल्य में वृद्धि के लिए संविदा में किसी अनुबंध के बावजूद, ऐसी कोई वृद्धि, जो संविदा में अनुबंधित परिदान की तारीख के बाद होती है, ऐसे उक्त भंडार पर स्वीकार्य नहीं होगी जिनका परिदान संविदा में अनुबंधित परिदान अवधि की समाप्ति के बाद किया जाता है।

घ) लेकिन, फिर भी क्रेता सीमा शुल्क, उत्पाद–शुल्क, बिक्री कर में कटौती या छूट के कारण या किसी अन्य कर या शुल्क के कारण या मूल्य अंतर खंड में यथा अनुबंधित किसी अन्य आधार पर मूल्य में ऐसी कमी का लाभ पाने का हकदार होगा जो संविदा में अनुबंधित परिदान अवधि की तारीख की समाप्ति के बाद होती है।

3401. ठेकेदार तब तक भण्डार का प्रेषण नहीं करेगा जब तक उपर्युक्त पैरा 3400 (क) से (घ) के अनुसार क्रेता द्वारा परिदान–समय में वृद्धि मंजूर और ठेकेदार द्वारा स्वीकार की जाती है। यदि क्रेता द्वारा समयावधि बढ़ाने का पत्र जारी करने से पूर्व, जैसा ऊपर कहा गया है, ठेकेदार द्वारा भंडार प्रेषित किया जाता है और परेषिती द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो भंडार की स्वीकृति उपर्युक्त पैरा 3400 में निर्धारित शर्तें (क) से (घ) के अध्यधीन होगी।

3402. ऐसे मामलों में जहाँ संविदा में अनुबंधित परिदान अवधि के भीतर समूची मात्रा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं की गयी है और क्रेता परिदान अवधि बढ़ाना चाहता है, वह उपर्युक्त पैरा 3400 में उल्लिखित शर्तों (क) से (घ) के अध्यधीन होगी।

3500. **संविदाओं की विशेष शर्तें (पैरा 417– में देखिए)**

जहाँ कहीं ये शर्तें निविदा आमंत्रित करने और निविदाकारों को अनुदेशों से भिन्न है, वह पश्चवर्ती पर अध्यारोही होगी।

संविदा की मानक शर्तों के अतिरिक्त संविदा को निम्नलिखित विशेष शर्तें लागू होगी अर्थात्:–

3600. **संविदा का प्रयोजन और संविदा के पक्षकार।**

3601. ऐसी संविदा का जिसे "चल संविदा" समझा जायेगा और जो संविदा में वर्णित परिमाणों में सामान के संविदा में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रदाय के लिए आशयिक है, एक पक्षकार ठेकेदार और दूसरा पक्षकार संविदा में नामित प्राधिकारी जिसे इसमें आगे क्रेता कहा गया है। (इसके अंतर्गत, जहाँ संदर्भ के अनुकुल हो या उसमें विवक्षित हो, उसके पूर्ववर्ती और समनुदेशित भी है) होगा। उक्त संविदा में दर्शित परिमाण केवल अनुमानित परिमाण है और वे प्रत्याभूत नहीं किए जा सकते है।

3602. क्रेता किसी अधिकारी को (जिसे इसमें आगे प्रत्यक्ष माँग अधिकारी कहा गया है) संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय ठेकेदार को सीधे आदेश देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

3603. इस संविदा का कोई परिवर्तन क्रेता पर तब तक आबद्धकर नहीं होगा जब तक कि वह संविदा पर पृष्ठांकित नहीं कर दिया जाता है अथवा पत्रों के आदान–पदान में किसी प्रारूपी लिखित में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता है और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं कर दिया जाता है।

3700. **परिदान।**

3701. ठेकेदार, क्रेता की अपेक्षानुसार उक्त संविदा में उल्लिखित सामान के उतने परिमाण का, जिनके लिए क्रेता या प्रत्यक्ष माँग अधिकारी द्वारा समय–समय पर सीधे ठेकेदार को आदेश दिया जाए संविदा में विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर निःशुल्क अथवा लागत, बीमा, भाड़ा सहित रेल पर्यन्त निःशुल्क परिदान करेगा। ठेकेदार इस प्रकार अदिष्ट सामान का पुरा परिमाण उक्त संविदा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिदत्त करेगा या भेजेगा।

3800. **परिमाण में वृद्धि या कमीः–** हटा दिया गया है।

3900. **स्टॉक का बनाए रखना और प्रतिस्थापन।**

3901. आकस्मिक माँगों की पूर्ति के लिए ठेकेदार स्टॉक में सभी समय (उस समय तक जब जक कि आवश्यकताओं का 75 प्रतिशत भाग नहीं ले लिया गया है) संविदा में उल्लिखित स्थान/स्थानों पर उतना परिमाण रखेगा जो उस संविदा में उल्लिखित हो। सभी माँगों की पूर्ति ठेकेदार को उनके मिलते ही या यदि अलग–अलग आदेशों में कई अवधि अनुबंधित है तो उस अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ज्योहि ठेकेदार से प्रदाय करने की अपेक्षा में कोई अवधि अनुबंधित है तो उस समय तक जब तक कि कुल अनुमानित आवश्यकताओं के 75 प्रतिशत भाग न ले लिया गया हो, आपूर्ति करने के लिए कार्यवाही करेगा और ऐसी आपूर्ति ठेकेदार द्वारा आकस्मिक माँगों की प्राप्ति के पश्चात्, संविदा से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। यदि कुल अनुमानित आवश्यकताओं के 75 प्रतिशत के ऊपर किसी अलिखित परिमाण की अपेक्षा की जाती है तो प्रत्यक्ष माँगकर्ता अधिकारियों या क्रेता द्वारा ठेकेदार को सम्यक सूचना दी जाएगी और तब ठेकेदार तद्नुसार स्टॉक का प्रबंध करेगा।

3902. स्टॉक की आपूर्ति के लिए समय केवल तभी दिया जाएगा जब कि सामग्री स्टॉक में न हो। यदि सामग्री स्टॉक में है तो यह उपबंध लागू नहीं होगा चाहे स्टॉक के प्रत्यभूत परिमाण का प्रदान संविदा के मद्धे कर दिया गया हो।

4000. **संविदा की प्रगति की रिपोर्ट देना।**
ठेकेदार संविदा की समाप्ति से तीन कलेण्डर मास पूर्व या ऐसे अंतरालों पर जिनका उल्लेख संविदा में किया जाए क्रेता को रिपोर्ट देगा जिसमें यह बताया गया हो कि संविदा के अधीन सामान का कुल कितना परिमाण परिदत्त कर दिया गया है या भेज दिया गया है।

4100. जहाँ कहीं विशेष शर्तें, मानक शर्तों से भिन्न पर अध्यारोही होगी।

<u>जमानत राशि के विषय में बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा</u>

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति
की ओर से कार्यरत
भंडार नियंत्रक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
बिलासपुर (छ.ग.), 495004.

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें यहां आगे '' सरकार '' कहा गया है), के सम्मान में निविदा खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए प्रस्ताव स्वीकार करने, उल्लिखित समय के भीतर करार का अनुपालन करने, उसकी/उनकी निविदा स्वीकार करने की अधिसूचना के बाद उल्लिखित अवधि के भीतर कार्य शुरू करने और नकद जमानत राशि जमा करने, रू.................... (रूपए..) मात्र के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर निविदा स्वीकृत होने पर संविदा का विश्वसनीय रूप से अनुपालन करने तथा देय हेतु जमानत के एक भाग के रूप में उक्त राशि के लिए नई बैंक गारंटी देने के लिए निविदा.............................. ....दिनांक ....की निबंधन तथा शर्तों के अंतर्गत गारंटी बांड के रूप मे....................................... (जिन्हें यहां आगे ''उक्त निविदाकार (निविदाकारगण)'' कहा गया है) से जमानत राशि स्वीकार करने के लिए हम सहमत हैं, हम ....बैंक लिमिटेड, एतद् द्वारा यह शपथ लेते हैं कि निविदा आमंत्रित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत उक्त निविदा में दी गई तथा उक्त संविदा की निबंधन तथा शर्तों के उल्लंघन के लिए उक्त जमानत राशि की जब्ती पर उक्त निविदा के लिए मांगे जाने पर सरकार को रू..का भुगतान करेंगे।

हम...बैंक लिमिटेड इससे भी सहमत हैं कि यहां दी गई गारंटी पूरी तरह लागू रहेगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा गारंटी पूरा करने के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने तक प्रभावी रहेगा, बशर्तें निविदा के निष्पादन तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद इस बांड के अंतर्गत सरकार को कोई अधिकार नहीं रहेगा तथा इस बांड के तहत हमारा दायित्व पूरा हो जाएगा, बशर्तें इस अवधि के भीतर भुगतान की मांग नहीं की जाती। हम .... बैंक लिमिटेड, सरकार की लिखित पूर्व सहमति के बिना इसकी करेंसी के दौरान इस गारंटी को रद्द न करने हेतु अंतिम रूप से शपथ लेते हैं।

कृते.....................................बैंक लिमिटेड
दिनांक........................दिन......................

<u>प्रतिभूति जमा को जमा करने के लिए बैंक गारंटी बांड का आदर्श फॉर्म</u>

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति
की ओर से कार्यरत
भंडार नियंत्रक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
बिलासपुर (छ.ग.), 495004.

<u>गारंटी बांड</u>

1. भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें यहां आगे '' सरकार '' कहा गया है), के सम्मान में रू.............................. (रूपए ....) मात्र की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर उक्त करार में दी गई निबंधन तथा शर्तों के उक्त संविदाकार (संविदाकारों) द्वारा देय पूरा किए जाने के लिए प्रतिभूति जमा का.................. ....(जिन्हें यहां आगे '' उक्त करार'' कहा गया है) के लिए ....और .... के बीच एक करार दिनांक ....की निबंधन तथा शर्तों के अंतर्गत मांग से .... (जिन्हें यहां आगे '' उक्त संविदाकार (संविदाकारगण) कहा गया है), को छूट देने के लिए सहमत हैं। हम ....(बैंक का नाम दें) (जिन्हें यहां आगे '' बैंक '' कहा गया है) .... संविदाकार (संविदाकारों) के अनुरोध पर एतद् द्वारा शपथ लेते हैं कि उक्त संविदाकार (संविदाकारों द्वारा) उक्त करार में दी गई निबंधनों तथा शर्तों का किसी भी कारण से किसी भी प्रकार उल्लंघन करने से सरकार को हुए अथवा होने वाले नुकसान या क्षति के लिए सरकार को रूपए.................. से अधिक नहीं, की रकम का भुगतान करेंगे।

2. हम.......................................(बैंक का नाम दें)...............................एतद् द्वारा शपथ लेते हैं कि उक्त करार का अनुपालन करने में संविदाकार (संविदाकारों) की विफलता के कारण अथवा उक्त करार में दी गई शर्तों या निबंधनों में से किसी का भी संविदाकार द्वारा उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुए या होने वाले नुकसान या क्षति के कारण देय सरकार की ओर से दावा की गई रकम बिना आपत्ति के इस गारंटी के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करेंगे। इस गारंटी के अंतर्गत बैंक द्वारा भुगतान योग्य तथा देय रकम के संबंध में बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग निर्णायक मानी जाएगी। तथापि इस गारंटी के अंतर्गत हमारा दायित्व रू...से अधिक नहीं, की रकम तक प्रतिबंधित रहेगा।

3. हम शपथ लेते हैं कि संविदाकार (संविदाकारों)/सप्लायर(सप्लायरों) द्वारा दायर किसी मुकदमा अथवा इससे संबंधित किसी कोर्ट या ट्रिबुनल के समक्ष लंबित कार्यवाही में उठाए गए विवादों के बावजूद वर्तमान करार के स्पष्ट एवं निर्बाध होने के दायित्व के कारण सरकार द्वारा मांगी गई रकम का भुगतान करेंगे।
इस बांड के अंतर्गत इस प्रकार किया गया भुगतान हमारा वैधानिक दायित्व है और इस प्रकार का भुगतान करने के लिए हमारे खिलाफ संविदाकार (संविदाकारगण)/सप्लायर(सप्लायरगण) कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

4. हम..(बैंक का नाम दें).................................इससे भी सहमत हैं कि यहां अंतर्विष्ट गारंटी पूरी तरह लागू रहेगा और उक्त करार को अनुपालन हेतु लगने

वाली अवधि तक प्रभावी रहेगा। उक्त करार के नाते या अंतर्गत सरकार को देय राशि का भुगतान किए जाने तक अथवा ....(कार्यालय / विभाग).......................मंत्रालय द्वारा यह प्रमाणित किए जाने तक कि कथित संविदाकार (संविदाकारों) द्वारा उक्त करार की निबंधनों तथा शर्तों का पूरी तरह उपयुक्त रूप से अनुपालन किया गया है तथा तदनुसार इस गारंटी का अनुपालन हो गया है। जब तक इस गारंटी के अंतर्गत कोई मांग अथवा दावा ....है, तब तक हम सभी दायित्वों से उन्मुक्त नहीं होंगे।

5. हम..(बैंक का नाम दें)..................................सरकार से इससे भी सहमत हैं कि हमारी सहमति के बिना तथा आगे चलकर किसी भी प्रकार से हमारे दायित्वों को प्रभावित किए बिना उक्त करार के किन्ही भी शर्तों तथा निबंधनों को बदलने अथवा समय–समय पर उक्त संविदाकार(संविदाकारों) के निष्पादन समय को बढ़ाने अथवा समय–समय पर या किसी भी समय उक्त संविदाकार (संविदाकारों) के विरूद्ध सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य किन्हीं भी शक्तियों को स्थगित करने तथा उक्त करार से संबंधित किन्हीं भी शर्तों एवं निबंधनों को अलग करने या लागू करने का सरकार को पूर्ण अधिकार है। उक्त ठेकेदार को स्वीकृत किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या विस्तार के कारणों से अथवा सरकार की तरफ से हुई भूल–चूक या कार्य या अलग करने से अथवा उक्त संविदाकार(संविदाकारों) पर सरकार की किसी अनुग्रह से अथवा इस प्रावधान के लिए जमानत से संबंधित कानूनी किसी भी प्रकार के मामलों से हमें उन्मुक्त करने से पड़ने वाले प्रभावों के कारण हम अपने दायित्वों से उन्मुक्त नहीं होंगे।

6. संविदाकार(संविदाकारों) / सप्लायर (सप्लायरों) अथवा बैंक के संविधान में परिवर्तन के कारण इस गारंटी का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

7. हम..(बैंक का नाम दें)..................................अंतिम रूप से यह शपथ लेते हैं कि सरकार की लिखित पूर्व सहमति के सिवाय इसकी करंसी के दौरान इस इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

कृते–............................
(बैंक का नाम दें)..................................
दिनांक ....दिन.....................

वारंटी गारंटी बांड के लिए प्रोफार्मा

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति
की ओर से कार्यरत
भंडार नियंत्रक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
बिलासपुर (छ.ग.), 495004.

विषय : परेषिती (परेषितियों) को सप्लाई की गई सीरियल नं. ....की मशीन (मशीनों) का प्रबंध करने वाले रू....................................(रकम) के लिए गारंटी नं........................

संदर्भ : मेसर्स ....से संबंधित दिनांक ....संविदा सं.............................

———

1. चूंकि हमारे अंगीभूतों में से एक मेसर्स.......................................,जिन्हें यहां आगे ''विक्रेता'' कहा गया है, आपको (जिन्हें यहां आगे '' सरकार '' कहा गया है). दिनांक....................का संविदा सं. ....
....(जिन्हें यहां आगे उक्त संविदा कहा गया है) के अनुसार ....(विवरण दें) का.............................नग बेचने के लिए सहमत हुए हैं।

2. चूंकि उक्त संविदा की शर्तों के अनुसार यह अनुबंधित किया गया है कि भंडार के मूल्य का 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा, बशर्तें कि विक्रेता उक्त संविदा के एक भाग के रूप में बनाई गई संलग्न शर्तों, संविदा की उक्त शर्तों के वारंटी खंड के अनुसार पूरी गारंटी अवधि को पूरी करती हुई अवधि के लिए वैध उक्त संविदा के मूल्य का 10 प्रतिशत के लिए क्रेता को स्वीकार्य किसी मान्यता प्राप्त बैंक से एक बैंक गारंटी क्रेता को प्रस्तुत करे।

3. चूंकि विक्रेता द्वारा अपनी ओर से आपके पक्ष में संविदा के मूल्य के 10 प्रतिशत रकम के लिए, जिसे आप स्वीकार करने के लिए सहमत हुए हैं, उक्त बैंक गारंटी देने के लिए संपर्क स्थापित किया गया ळें

4. उपर्युक्त विक्रेताओं के वादों को एवं उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उक्त संविदा में दी गई गारंटी का अनुपालन करने में किसी भी प्रकार की चूक करने या उक्त रकम का भुगतान करने में विक्रेता द्वारा चूक करने पर हम एतद् द्वारा भारत सरकार को गारंटी भुगतान करने अथवा आपके द्वारा निश्चित किए जाने वाले अन्य ऐसे स्थान पर बिना किसी झिझक के मांग का भुगतान तुरंत करने, उक्त संविदा के अंतर्गत प्रेषित भंडारों के मूल्य का 10 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले रूपए....................(..............................रूपए) की किसी राशि का भुगतान करने हेतु अटल शपथ लेते हैं।

5. कार्य–निष्पादन में या विक्रेता की वचनबद्धता में यदि कोई चूक होती है, तो उपर्युक्त के लिए गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार का निर्णय हम पर बंधनकारी होगा और इसे पूरा करने के लिए हम सहमत हैं।

6. समय को बढ़ाने की अनुमति देने यो स्वीकृत करने अथवा उपर्युक्त विक्रेताओं की किसी अन्य अनुग्रह को पूरा करने या इस गारंटी को या हमारे उत्तरदायित्व को क्षति या कोई प्रभाव डाले बिना उपर्युक्त विक्रेताओं के साथ संविदा की निबंधन एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सरकार को रहेगा।

7. हम शपथ लेते हैं कि विक्रेताओं द्वारा दायर किसी मुकदमा अथवा इससे संबंधित किसी कोर्ट या ट्रिबुनल के समक्ष लंबित कार्यवाही में उठाए गए विवादों के बावजूद वर्तमान करार के स्पष्ट एवं निर्बाध होने के दायित्व के कारण सरकार द्वारा मांगी गई रकम का भुगतान करेंगे।

इस बांड के अंतर्गत इस प्रकार किया गया भुगतान हमारा वैधानिक दायित्व है और इस प्रकार का भुगतान करने के लिए हमारे खिलाफ विक्रेता कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

8. उक्त (देशी संविदा के मामले में) संविदा के अंतर्गत आर/आर नं...................................दिनांक ....अथवा लैडिंग नं............................दिनांक ....के बिल के अनुसार प्रति वेसेल ....प्रेषित भंडार के मूल्य का शेष 10 प्रतिशत का भुगतान कर दिए जाने पर यह बैंक गारंटी लागू होगा और पूरी तरह लागू रहेगा तथा दिनांक............... तक, अर्थात भंडार सामग्रियों को रखने की तिथि से ....माह के लिए प्रभावी रहेगा और आगामी छः महीनों तक अर्थात ....(दिनांक), जिसे यहां आगे उक्त तिथि कहा गया है, तक लागू रहेगा।

9. विक्रेताओ अथवा बैंक के संविधान में परिवर्तन के कारण इस गारंटी का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

10. इस गारंटी के अंतर्गत किसी अन्य दावे पर हम तब तक विचार नहीं करेंगे जब तक सरकार द्वारा उक्त तिथि के भीतर उसे न भेजा गया हो।

दिनांक :.................... हस्ताक्षर....................

स्थान........................... मुद्रित नाम................

गवाह...

(पदनाम)

(बैंक की प्रचलित मुहर)

ईएफटी आदेश फार्म

प्रेषक : मेसर्स.................................   दिनांक...................

सेवा में,
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : ईएफटी भुगतानों के लिए बैंक विवरण।

हमारे बिलों का भुगतान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने के लिए आदेश फॉर्म विधिवत् भरकर एतद् द्वारा जमा किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आदेश फॉर्म

शहर का नाम	
बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर प्रदर्शित बैंक एवं उसकी शाखा का 9 अंकों का कोड नं.	
बैंक का नाम	
शाखा का पता	
शाखा का टेलीफोन/फैक्स नं.	
सप्लायर का एकाउंट नं.	
एकाउंट का प्रकार	
एकाउंट के अनुसार सप्लायर का नाम	
सप्लायर का टेलीफोन नं.	
सप्लायर का ई–मेल आईडी	

बैंक द्वारा की गई पुष्टि   सप्लायर के हस्ताक्षर
मुहर तथा पता सहित

क्रास किए हुए चेक की एक प्रति संलग्न करें

परिशिष्ट – I

निविदा सं... दिनांक ....को खोला जाए।

निविदा विनिर्देशन से अंतर का विवरण

निविदा विनिर्देशन की आवश्यकता से अंतर का विवरण नीचे दिया गया है।

कमांक	विनिर्देशन की मद सं.	निविदा के अनुसार विनिर्देशन	अंतरों का विवरण

स्थान :
दिनांक : निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :1. यदि आवश्यक हो तो पीछे पृष्ठ का उपयोग करें/अथवा अलग से शीट संलग्न करें।
2. यदि निविदा विनिर्देशन से कोई अंतर नहीं है तो विवरण में '' **कोई अंतर नहीं**'' का पृष्ठांकन के साथ विधिवत् हस्ताक्षर के साथ वापस किया जाए।

निविदा सं.. दिनांक ....को खोला जाए।

<u>मानक निबंधन एवं शर्तों से अंतर का विवरण</u>

क्रमांक	मानक निबंधन एवं शर्तों की मद सं.	निविदा के अनुसार निबंधन एवं शर्तें	अंतर का विवरण

स्थान :
दिनांक : निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :1. यदि आवश्यक हो तो पीछे पृष्ठ का उपयोग करें/अथवा अलग से शीट संलग्न करें।

2. यदि निविदा/संविदा के मानक निबंधन एवं शर्तों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है तो विवरण में '' **कोई अंतर नहीं**'' का पृष्ठांकन के साथ विधिवत् हस्ताक्षर के साथ वापस किया जाए।

निविदा सं... ....दिनांक ....को खोला जाए।

निष्पादन विवरण

हम अपनी क्षमता, सामर्थ्य (जानकारी सहित), निरीक्षण एवं जांच सुविधाओं (गुणवत्ता नियंत्रण सहित), वित्तीय संसाधनों से संबंधित विवरण और सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों एवं प्राइवेट सेक्टरों में प्रख्यात फर्मों के लिए हमारे द्वारा निष्पादित इसी प्रकार के कार्यों के लिए पिछले वास्तविक निष्पादन का विवरण नीचे दे रहे हैं।

भाग–I

1. फर्म का नाम तथा पता
2. कार्यों की शैली
3. पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग प्रबंधों,यदि कोई हो,के साथ उत्पादन के प्रमुख कार्य क्षेत्र.
4. क. अधिष्ठापित संस्था
   ख. उपयोग की गई क्षमता
   ग. क्षमता के प्रयोग प्रतिशत
   घ. अभ्युक्ति
5. अधिष्ठापित मशीनों तथा उपस्करों का विवरण
6. धातुकर्मीय/गुणवत्ता नियंत्रण सहित जांच तथा निरीक्षण सुविधाओं का विवरण
7. नियोजित तकनीकी तथा अन्य कर्मचारियों का विवरण

भाग–II

1. डीलर का नाम तथा पता
2. कार्य निष्पादित करने के लिए वित्तीय संसाधनों का मूल्यांकन

भाग – III

1. इसी प्रकार के निष्पादित तथा सुनिश्चित आदेशों का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में दें (संलग्न विवरण)

प्रोफार्मा

1. कम सं.
2. आदेश सं. एवं दिनांक
3. पक्षकार का नाम
4. आदेशित सामग्रियों का विवरण
5. आदेशित मात्रा
6. आदेशित दर
7. संविदा के अनुसार सुपुर्दगी अवधि
8. सुपुर्दगी की वास्तविक अवधि
9. सुपुर्दगी में हुए विलंब का कारण
10. अभ्युक्तियां

भाग–iv

अतिरिक्त अभ्युक्तियां (कारखाने के क्षेत्र तथा विन्यास सहित)

स्थान :
दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील